GOVERNMENT OF HARYANA/हरियाणासरकार

Directorate School Education
विद्यालय शिक्षानिदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development
School Education, Haryana
विद्यालय शिक्षा, हरियाणा
तमसो मा ज्योतिर्गमय
Lead me from Darkness to Light

Off.: ShikshaSadan, Sector 5, Panchkula, Haryana134109(India) - Tel: 91(0172)-2560246 Fax: 91(0172)-2560253
कार्यालयः शिक्षासदन, सैक्टर 5पंचकुला–134109 (भारत) दूरभाष : 91 (0172) 2560246 फैक्स: 91 (0172) 2560253
e-mail: edusecondaryhry@gmail.com - site: www.schooleducationharyana.gov.in

सेवा में

1 राज्य के समस्त जिला शिक्षा अधिकारी।
2 राज्य के समस्त जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी।

यादी क्रमांक 12/3–2021परीक्षा (1)
दिनांक, पंचकूला

विषय: **Notificaiton of Scholarships Schemes under Section – 7 of the Aadhaar Act 2016 (as amended by the Adhaar and Other Laws (Amendment) Act,2019).**

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में।

विषयाकिंत मामले में स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन राजकीय विद्यालयो में कक्षा 9वीं से 12वीं तक पढ़ रहे छात्र/छात्राओं को छात्रवृति एंव प्रोत्साहन की राशि वितरित करने हेतु वर्तमान में 9 राज्य स्कीमें कियान्वित है, जिनके अन्तर्गत सभी पात्र छात्र/छात्राओं को DBT/PFMS के माध्यम से आधार लिंक के द्वारा उनके बैंक खातो में छात्रवृति एवं प्रोत्साहन की राशि वितरित की जाती है। स्कीमों का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

(i) Cash Award Schemes for (One Time) Scheduled Caste Students in Classes IX-XII.
(ii) Monthly Stipend to all Scheduled Caste Students in Classes IX-XII.
(iii) Monthly Stipend to BC-A Students in Classes IX-XII.
(iv) Monthly Stipend to BPL Students in Classes IX-XII.
(v) Providing the incentives to the students (Boys & Girls) of grand children of freedom fighter in the state for the classes 1^{st} to 12^{th}.
(vi) Scholarships (Secondary) Education Encourgement of Excellence (EEE) Rajiv Gandhi Scholarship Scheme for Classes IX-XII.
(vii) Award of Punjabi second language on the basis of board Matric Exam students studying in class XI and XII.
(viii) Providing of free bicycle to Scheduled Caste Students for the ClassesIX & XI.
(ix) Haryana State Merit Scholarship Scheme on the basis of Board Metric Exam and Additional provided free Laptop.

उक्त सभी स्कीमों की Notification under Section -7 of the Adhaar Act 2016 (as amended by the Adhaar and Other Laws (Amendment) Act, 2019) के अनुसार जारी अधिसूचना कमांक 12/3–2021 परीक्षा (1) दिनांक 09.08.2021 की प्रतियां आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

सहायक निदेशक परीक्षा
कृतेः निदेशक स्कूल शिक्षा, हरियाणा
पंचकूला।

पृष्ठाकंन कमांक सम **दिनांक पंचकूला** 24.8.21

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 उप–निदेशक, DBT Cell, Main Secretariat, Chandigarh को उनके पत्र कमांक DD (DBT)-2020/395-401 दिनांक 22.12.2020 के सन्दर्भ में।
2 आई0टी0 सैल को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने के लिए।

सहायक निदेशक परीक्षा
कृतेः निदेशक स्कूल शिक्षा, हरियाणा
पंचकूला।

GOVERNMENT OF HARYANA
SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
CHANDIGARH

NOTIFICATION

No. 12/3-2021 Exam (1) **Dated:-**

Subject: - Notification of One-time allowance to Scheduled Caste Students Studying in classes IXth to XIIth under Section-7 of the Aadhaar Act, 2016 (as amended by the Aadhaar and Other Laws (Amendment) Act, 2019).

Whereas, the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the School Education Department is implementing One-time allowance scheme to Scheduled Caste Students in classes from IXth to XIIth.

And whereas, under the Present Scheme, Scholarship disbursed to the beneficiaries through DBT Mode is given to the beneficiaries studying in Government schools in the classes from 9th to 12th as per the extant Scheme guidelines;

And whereas, the aforesaid Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of Haryana State Government (Finance Department)

Now, therefore, in pursuance of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (*hereinafter referred as the said Act*), the government of Haryana is hereby notifies the following, namely:-

1. (1) Any student desirous of availing the benefit under the Scheme shall hereby be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

   (2) Any student desirous of availing the benefit under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment subject to the consent of his parents or guardians, before registering for the Scheme provided that he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act and such student shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at the Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

   (3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department through its Implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for

Aadhaar and in case there is no Aadhaar Enrolment Centre located in the respective Block Taluka Tehsil, the Department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar Enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming a UIDAI Registrar themselves:

Provided that, till the time Aadhaar is assigned to the student, the benefit under the Scheme shall be given to such student subject to production of the following documents, namely: -

(a) If the Beneficiaries, has been enrolled after attaining the age of five years (with biometrics collection), his Aadhaar Enrolment Identification slip, or of bio-metric update identification slip; and

(b) Any one of the following documents, namely:-

(i) Birth Certificate; or Record of birth issued by the appropriate authority; or

(ii) School identity card, duly signed by the Principal of the school, containing parents' names; and

(c) Any one of the following documents as proof of relationship of the beneficiary with the parent or legal guardian as per the extant Scheme guidelines, namely:–

(i) Birth Certificate; or Record of birth issued by the appropriate authority; or

(ii) Ration Card; or

(iii) Ex-Servicemen Contributory Health Scheme (ECHS) Card; or Employees' State Insurance Corporation (ESIC) Card; or Central Government Health Scheme (CGHS) Card; or

(iv) Pension Card; or

(v) Army Canteen Card; or

(vi) Any Government Family Entitlement Card; or

(vii) Any other document as specified by the Department:

Provided further that, the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.

2. In order to provide benefits to the students under the Present Scheme conveniently, the Department through its Implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through media shall be given to the eligible students to make them aware of the said requirement.

3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the eligible students or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely: -

3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the eligible students or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely: -

(a) In case of poor Fingerprint quality, Iris scan or Face authentication facility shall be adopted for authentication, thereby the Department through its Implementing agency shall make provisions for Iris scanners or Face authentication along with Finger-print authentication for delivery of benefits in seamless manner;

(b) In case the biometric authentication through Fingerprints or Iris scan or Face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;

(c) In all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password authentication is not possible, benefits under the scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the quick response code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of quick response code reader shall be provided at the convenient locations by the Department through its Implementing Agency.

4. Notwithstanding anything contained herein above, no student shall be denied benefit under this Scheme in case of failure to establish his identity by undergoing authentication, or furnishing proof of possession of Aadhaar number, or in the case of a student to whom no Aadhaar number has been assigned, submitting an application for enrolment. The benefit shall be given to him by verifying his identity on the basis of other documents as mentioned in clause (b) and (c) of the proviso of sub-paragraph (3) of paragraph 1, and where benefit is given on the basis of such other documents, a separate register shall be maintained to record the same, which shall be reviewed and audited periodically by the Department through its Implementing Agency.

5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette.

(Dr. Mahavir Singh), IAS
Additional Chief Secretary to Government of Haryana,
School Education Department, Chandigarh

हरियाणा सरकार
विद्यालय शिक्षा विभाग
चण्डीगढ

अधिसूचना

कमांकः— 12/3—2021 परीक्षा (1) दिनांकः—

विषयः— आधार अधिनियम 2016 की धारा—7 के तहत कक्षा नौवीं से बारहवीं के अनुसूचित जाति के छात्रों के लिये नकद पुरस्कार योजना (एक मुश्त) की अधिसूचना, जैसा कि आधार और अन्य कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 में संशोधित किया गया है।

****

सेवाओं या लाभों या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिये एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता व दक्षता लाता है और लाभार्थियों को सुविधाजनक और निर्बाध रीति से उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है तथा आधार किसी की पहचान को साबित करने के लिये विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और जबकि, सैकण्डरी शिक्षा विभाग अनुसूचित जाति वर्ग के कक्षा नौवीं से बारहवीं तक के विद्यार्थियों के लिये एक मुश्त नकद पुरस्कार की योजना का संचालन कर रहा है।

और जैसा कि इस योजना के अधीन योजना के मौजूदा दिशा निर्देशों के अनसुार राज्य सरकार सरकारी स्कूलों में पढने वाले अनुसूचित जाति वर्ग के नौवीं से बारहवीं तक के विद्यार्थियों को डायरेक्ट बैनिफिट ट्रांस्फर (डी.बी.टी) माध्यम से एक मुश्त नकद पुरस्कार प्रदान करती है।

और उपरोक्त योजना के तहत व्यय हरियाणा सरकार की समेकित निधि (वित्त विभाग) से होने वाले आवर्ती व्यय में शामिल हैः

अतः अब हरियाणा सरकार आधार अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 7 के उपबंधो के अनुसरण में (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) बारे निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात—

1 (1) योजना के अधीन प्रसुविधा लेने के इच्छुक प्रत्येक पात्र बच्चे से अपेक्षा की जाती है कि वह आधार संख्या रखने का प्रमाण प्रस्तुत करेगा अथवा उसे आधार प्रमाणीकरण करवाना होगा।

(2) योजना के अधीन प्रसुविधा पाने का इच्छुक प्रत्येक बच्चा जो आधार संख्या नहीं रखता है या जिसने आधार के लिए अभी तक नामाकंन नहीं किया है, उसे योजना के लिए पंजीकरण करने से पहले अपने माता—पिता या अभिभावकों की सहमति से आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा, बशर्ते वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधो के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार है और ऐसे बच्चे आधार नामांकन के लिए किसी भी आधार नामांकन केन्द (केन्द्रों की सूची भारतीय विशिष्ट पहचाान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) पर संपर्क कर संकेगे।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) अधिनियम, 2016 के विनियमन 12 के अनुसार विभाग द्वारा कार्यान्वियन एजेंसियों के माध्यम से, उन लाभार्थियों के लिए जो अभी आधार हेतु नामांकित नही हुए है, के आधार नामांकन सुविधाओं की व्यवस्था करना अपेक्षित है और यदि संबंधित ब्लाक या तालुका या तहसील में आधार नामांकन केंद्र स्थित नहीं हो तो विभाग कार्यान्वियन एजेंसियों के माध्यम से यूआईडीएआई के मौजूदा रजिस्ट्रार के सहयोग से या स्वतः यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनते हुए सुविधाजनक स्थान पर आधार नामांकन सुविधांए उपलब्ध कराएगाः

बशर्ते कि किसी बच्चे को आधार प्रदान किए जाने तक उसे निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर प्रसुविधा प्रदान की जाएगी, अर्थातः—

(क) यदि बच्चा पांच साल की उम्र (बायोमैट्रिक्स संगह के साथ), प्राप्त करने के बाद नामांकित किया गया है, उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची, अथवा बायोमैट्रिक्स अपडेट पहचान पर्ची; और

(ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक हो, अर्थातः—

i. जन्म प्रमाणपत्र; अथवा यथोचित प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जन्म का रिकार्ड; अथवा

ii. स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित स्कूल का पहचान पत्र, जिसमें माता–पिता के नाम हों; और

(ग) मौजूदा योजना के दिशा निर्देशों के अनुरूप, माता–पिता या वैधानिक अभिभावक के साथ प्रसुविद्यार्थी के संबंध के सबूत के तौर पर निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज; अर्थातः–

i. जन्म प्रमाणपत्र: अथवा यथोचित प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जन्म का रिकार्ड; अथवा

ii. राशन कार्ड; अथवा

iii. भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ई.सी.एच.एस) कार्ड; अथवा कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई.एस.आई.सी) कार्ड; अथवा केन्द्र सरकार की स्वास्थ्य योजना (सी.जी.एच.एस) कार्ड; अथवा

iv. पेंशन कार्ड; अथवा

v. आर्मी कैंटीन कार्ड; अथवा

vi. कोई भी सरकारी परिवार पात्रता/हकदारी कार्ड; अथवा

vii. विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज;

बशर्ते कि उपर्युक्त दस्तावेजों की जांच विभाग द्वारा इस कार्य हेतु विशेष रूप से नामनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. योजना के अधीन प्रसुविधाएं सरलतापूर्वक प्रदान करने के लिए विभाग कार्यान्वयन एजेंसी के सहयोग से उक्त योजना के तहत आधार की आवश्यकता के प्रति लाभार्थियों को जागरूक करने के लिए मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार सुनिश्चित करेगा तथा इस हेतु सभी आवश्यक प्रबंध करेगा।

3. उन सभी मामलों मे, जहां लाभार्थियों के खराब बायोमैट्रिक्स के कारण अथवा किसी अन्य कारण से आधार अधिप्रमाणन असफल रहता है, वहां निम्नलिखित उपचारात्मक तंत्र अपनाया जाएगा, अर्थातः–

(क) खराब अंगुलीछाप गुणवता के मामले में, अधिप्रमाणन के लिए आईरिस स्कैन अथवा चेहरा अधिप्रमाणन सुविधा अपनाई जाएगी, इस हेतु विभाग आईरिस स्कैनर्स अथवा चेहरा अधिप्रमाणन के साथ अंगुलीछाप अधिप्रमाणन के लिए प्रावधान करेगा ताकि निर्बाध रीति के प्रसुविधा प्रदान की जा सके;

(ख) जहां अंगुली के माध्यम से बायोमैट्रिक्स अधिप्रमाणन अथवा आईरिस स्कैन अथवा चेहरा अधिप्रमाणन सफल न हो वहां व्यवहार्यता एवं स्वीकार्यता अनुसार सीमित समय वैधता वाले आधार वन टाईम पासवर्ड (ओटीपी) या समय आधारित वन टाइम पासवर्ड, जैसा भी मामला हो, द्वारा अधिप्रमाणन किया जाएगा;

(ग) अन्य सभी मामलों में जहां बायोमैट्रिक्स अथवा आधार वन टाईम पासवर्ड अथवा समय–आधारित वन–टाइम पासवर्ड अधिप्रमाणन संभव नहीं है, वहां योजना के अधीन प्रसुविधाएं भौतिक आधार पत्र के आधार पर प्रदान की जाएंगी, जिनकी अधिप्रामाणिकता आधार पत्र पर मुद्रित त्वरित प्रतिकिया (क्यूआर) कोड के माध्यम से सत्यापित की जा सकती है और त्वरित प्रतिकिया कोड रीडर विभाग द्वारा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से सुविधाजनक स्थान पर आवश्यक रूप से उपलब्ध कराया जाएगा।

4. उपरोक्त बातों के बावजूद, किसी भी बच्चे को प्रमाणीकरण के माध्यम से अपनी पहचान स्थापित करने में विफलता के मामले में, अथवा आधार संख्या का सबूत प्रस्तुत न करने अथवा जिसे आधार नंबर प्राप्त नही हुआ है, को नामांकन हेतु आवेदन पत्र की प्रति प्रस्तुत करने में विफल रहने पर भी योजना के तहत प्रसुविधा से वंचित नही किया जाएगा। उसे प्रसुविधा अन्य दस्तावेजों के आधार पर उसकी पहचान को सत्यापित करने उपरान्त, जैसा कि अनुच्छेद 1 के उप–अनुच्छेद (3) के उपबंधो (ख) और (ग) में वर्णित है, प्रदान की जाएगी और जहां प्रसुविधा ऐसे अन्य दस्तावेजों के आधार पर प्रदान की जाएगी, इस हेतु एक अलग रजिस्ट्रार में इसका रिकार्ड रखा जाएगा, जिसकी विभाग द्वारा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से समय–समय पर समीक्षा की जाएगी और आडिट किया जाएगा।

5. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

(डा0 महावीर सिंह), आई0ए0एस
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
विद्यालय शिक्षा विभाग, चण्डीगढ

GOVERNMENT OF HARYANA
SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
CHANDIGARH

NOTIFICATION

No. 12/3-2021 Exam (1) **Dated:-**

Subject: - Notification of Monthly Stipend to all Scheduled Caste Students Studying in classes IXth to XIIth under Section-7 of the Aadhaar Act, 2016 (as amended by the Aadhaar and Other Laws (Amendment) Act, 2019).

Whereas, the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the School Education Department is implementing the scheme Monthly Stipend to all Scheduled Caste Students in classes from IXth to XIIth.

And whereas, under the Present Scheme, Scholarship disbursed to the beneficiaries through DBT Mode is given to the beneficiaries studying in Government schools in the classes from 9th to 12th as per the extant Scheme guidelines;

And whereas, the aforesaid Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of Haryana State Government (Finance Department)

Now, therefore, in pursuance of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (*hereinafter referred as the said Act*), the government of Haryana is hereby notifies the following, namely: -

1. (1) Any Student desirous of availing the benefit under the Scheme shall hereby be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

   (2) Any Student desirous of availing the benefit under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment subject to the consent of his parents or guardians, before registering for the Scheme provided that he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act and such children shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at the Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

   (3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department through its Implementing Agency, is required to offer Aadhaar

enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar Enrolment Centre located in the respective Block Taluka Tehsil, the Department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar Enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming a UIDAI Registrar themselves:

Provided that, till the time Aadhaar is assigned to the student, the benefit under the Scheme shall be given to such student subject to production of the following documents, namely: -

(a) If the Beneficiaries, has been enrolled after attaining the age of five years (with biometrics collection), his Aadhaar Enrolment Identification slip, or of bio-metric update identification slip; and

(b) Any one of the following documents, namely:-

(i) Birth Certificate; or Record of birth issued by the appropriate authority; or

(ii) School identity card, duly signed by the Principal of the school, containing parents' names; and

(c) Any one of the following documents as proof of relationship of the beneficiary with the parent or legal guardian as per the extant Scheme guidelines, namely:–

(i) Birth Certificate; or Record of birth issued by the appropriate authority; or

(ii) Ration Card; or

(iii) Ex-Servicemen Contributory Health Scheme (ECHS) Card; or Employees' State Insurance Corporation (ESIC) Card; or Central Government Health Scheme (CGHS) Card; or

(iv) Pension Card; or

(v) Army Canteen Card; or

(vi) Any Government Family Entitlement Card; or

(vii) Any other document as specified by the Department:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.

2. In order to provide benefits to the students under the Present Scheme conveniently, the Department through its Implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through media shall be given to the eligible students to make them aware of the said requirement.

3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the eligible students or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely: -

(a) In case of poor Fingerprint quality, Iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication, thereby the Department through its Implementing agency shall make provisions for Iris scanners or Face authentication along with finger-print authentication for delivery of benefits in seamless manner;

(b) In case the biometric authentication through Fingerprints or Iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;

(c) In all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password authentication is not possible, benefits under the scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of Quick Response code reader shall be provided at the convenient locations by the Department through its Implementing Agency.

4. Notwithstanding anything contained herein above, no student shall be denied benefit under this Scheme in case of failure to establish his identity by undergoing authentication, or furnishing proof of possession of Aadhaar number, or in the case of a student to whom no Aadhaar number has been assigned, submitting an application for enrolment. The benefit shall be given to him by verifying his identity on the basis of other documents as mentioned in clause (b) and (c) of the proviso of sub-paragraph (3) of paragraph 1, and where benefit is given on the basis of such other documents, a separate register shall be maintained to record the same, which shall be reviewed and audited periodically by the Department through its Implementing Agency.

5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette.

(Dr. Mahavir Singh), IAS
Additional Chief Secretary to Government of Haryana,
School Education Department, Chandigarh

(2)

हरियाणा सरकार
विद्यालय शिक्षा विभाग
चण्डीगढ

अधिसूचना

कमांकः– 12/3–2021 परीक्षा (1) दिनांकः–

विषयः– आधार अधिनियम 2016 की धारा–7 के तहत कक्षा नौवीं से बारहवीं तक के अनुसूचित जाति वर्ग के सभी विद्यार्थियों के लिये मासिक छात्रवृति योजना की अधिसूचना, जैसा कि आधार और अन्य कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 में संशोधित किया गया है।

****

सेवाओं या लाभों या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिये एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रकियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता व दक्षता लाता है और लाभार्थियों को सुविधाजनक और निर्बाध रीति से उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है तथा आधार किसी की पहचान को साबित करने के लिये विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और जबकि, सैकण्डरी शिक्षा विभाग अनुसूचित जाति वर्ग के कक्षा नौवीं से बारहवीं तक के विद्यार्थियों के लिये मासिक छात्रवृति की योजना का संचालन कर रहा है।

और जैसा कि इस योजना के अधीन योजना के मौजूदा दिशा निर्देशों के अनसुार राज्य सरकार सरकारी स्कूलों में पढने वाले अनुसूचित जाति वर्ग के नौवीं से बारहवीं तक के विद्यार्थियों को डायरेक्ट बैनिफिट ट्रांस्फर (डी.बी.टी) माध्यम से प्रदान करती है।

और उपरोक्त योजना के तहत व्यय हरियाणा सरकार की समेकित निधि (वित्त विभाग) से होने वाले आवर्ती व्यय में शामिल हैः

अतः अब हरियाणा सरकार आधार अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 7 के उपबंधो के अनुसरण में (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) बारे निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात–

1 (1) योजना के अधीन प्रसुविधा लेने के इच्छुक प्रत्येक पात्र बच्चे से अपेक्षा की जाती है कि वह आधार संख्या रखने का प्रमाण प्रस्तुत करेगा अथवा उसे आधार प्रमाणीकरण करवाना होगा।

(2) योजना के अधीन प्रसुविधा पाने का इच्छुक प्रत्येक बच्चा जो आधार संख्या नहीं रखता है या जिसने आधार के लिए अभी तक नामाकंन नहीं किया है, उसे योजना के लिए पंजीकरण करने से पहले अपने माता–पिता या अभिभावकों की सहमति से आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा, बशर्ते वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधो के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार है और ऐसे बच्चे आधार नामांकन के लिए किसी भी आधार नामांकन केन्द (केन्द्रों की सूची भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) पर संपर्क कर संकेगे।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) अधिनियम, 2016 के विनियमन 12 के अनुसार विभाग द्वारा कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से, उन लाभार्थियों के लिए जो अभी आधार हेतु नामांकित नही हुए है, के आधार नामांकन सुविधाओं की व्यवस्था करना अपेक्षित है और यदि संबंधित ब्लाक या तालुका या तहसील में आधार नामांकन केंद्र स्थित नहीं हो तो विभाग कार्यान्वियन एजेंसियों के माध्यम से यूआईडीएआई के मौजूदा रजिस्ट्रार के सहयोग से या स्वतः यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनते हुए सुविधाजनक स्थान पर आधार नामांकन सुविधांए उपलब्ध कराएगाः

बशर्ते कि किसी बच्चे को आधार प्रदान किए जाने तक उसे निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर प्रसुविधा प्रदान की जाएगी, अर्थातः–

(क) यदि बच्चा पांच साल की उम्र (बायोमैट्रिक्स संगह के साथ), प्राप्त करने के बाद नामांकित किया गया है, उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची, अथवा बायोमैट्रिक्स अपडेट पहचान पर्ची; और

(ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक हो, अर्थातः–

i. जन्म प्रमाणपत्र; अथवा यथोचित प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जन्म का रिकार्ड; अथवा

ii. स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित स्कूल का पहचान पत्र, जिसमें माता–पिता के नाम हों; और

(ग) मौजूदा योजना के दिशा निर्देशों के अनुरूप, माता–पिता या वैधानिक अभिभावक के साथ प्रसुविद्यार्थी के संबंध के सबूत के तौर पर निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज; अर्थातः–

i. जन्म प्रमाणपत्र: अथवा यथोचित प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जन्म का रिकार्ड; अथवा

ii. राशन कार्ड; अथवा

iii. भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ई.सी.एच.एस) कार्ड; अथवा कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई.एस,आई. सी) कार्ड; अथवा केन्द्र सरकार की स्वास्थ्य योजना (सी.जी.एच.एस) कार्ड; अथवा

iv. पेंशन कार्ड; अथवा

v. आर्मी कैटीन कार्ड; अथवा

vi. कोई भी सरकारी परिवार पात्रता/हकदारी कार्ड; अथवा

vii. विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज;

बशर्ते कि उपर्युक्त दस्तावेजों की जांच विभाग द्वारा इस कार्य हेतु विशेष रूप से नामनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. योजना के अधीन प्रसुविधाएं सरलतापूर्वक प्रदान करने के लिए विभाग कार्यान्वयन एजेंसी के सहयोग से उक्त योजना के तहत आधार की आवश्यकता के प्रति लाभार्थियों को जागरूक करने के लिए मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार सुनिश्चित करेगा तथा इस हेतु सभी आवश्यक प्रबंध करेगा।

3. उन सभी मामलों मे, जहां लाभार्थियों के खराब बायोमैट्रिक्स के कारण अथवा किसी अन्य कारण से आधार अधिप्रमाणन असफल रहता है, वहां निम्नलिखित उपचारात्मक तंत्र अपनाया जाएगा, अर्थातः–

(क) खराब अंगुलीछाप गुणवता के मामले में, अधिप्रमाणन के लिए आईरिस स्कैन अथवा चेहरा अधिप्रमाणन सुविधा अपनाई जाएगी, इस हेतु विभाग आईरिस स्कैनर्स अथवा चेहरा अधिप्रमाणन के साथ अंगुलीछाप अधिप्रमाणन के लिए प्रावधान करेगा ताकि निर्बाध रीति के प्रसुविधा प्रदान की जा सके;

(ख) जहां अंगुली के माध्यम से बायोमैट्रिक्स अधिप्रमाणन अथवा आईरिस स्कैन अथवा चेहरा अधिप्रमाणन सफल न हो वहां व्यवहार्यता एवं स्वीकार्यता अनुसार सीमित समय वैधता वाले आधार वन टाईम पासवर्ड (ओटीपी) या समय आधारित वन टाइम पासवर्ड, जैसा भी मामला हो, द्वारा अधिप्रमाणन किया जाएगा;

(ग) अन्य सभी मामलों में जहां बायोमैट्रिक्स अथवा आधार वन टाईम पासवर्ड अथवा समय–आधारित वन–टाइम पासवर्ड अधिप्रमाणन संभव नहीं है, वहां योजना के अधीन प्रसुविधाएं भौतिक आधार पत्र के आधार पर प्रदान की जाएंगी, जिनकी अधिप्रामाणिकता आधार पत्र पर मुद्रित त्वरित प्रतिकिया (क्यूआर) कोड के माध्यम से सत्यापित की जा सकती है और त्वरित प्रतिकिया कोड रीडर विभाग द्वारा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से सुविधाजनक स्थान पर आवश्यक रूप से उपलब्ध कराया जाएगा।

4. उपरोक्त बातों के बावजूद, किसी भी बच्चे को प्रमाणीकरण के माध्यम से अपनी पहचान स्थापित करने में विफलता के मामले में, अथवा आधार संख्या का सबूत प्रस्तुत न करने अथवा जिसे आधार नंबर प्राप्त नही हुआ है, को नामांकन हेतु आवेदन पत्र की प्रति प्रस्तुत करने में विफल रहने पर भी योजना के तहत प्रसुविधा से वंचित नही किया जाएगा। उसे प्रसुविधा अन्य दस्तावेजों के आधार पर उसकी पहचान को सत्यापित करने उपरान्त, जैसा कि अनुच्छेद 1 के उप–अनुच्छेद (3) के उपबंधो (ख) और (ग) में वर्णित है, प्रदान की जाएगी और जहां प्रसुविधा ऐसे अन्य दस्तावेजों के आधार पर प्रदान की जाएगी, इस हेतु एक अलग रजिस्ट्रार में इसका रिकार्ड रखा जाएगा, जिसकी विभाग द्वारा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से समय–समय पर समीक्षा की जाएगी और आडिट किया जाएगा।

5. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

(डा0 महावीर सिंह), आई0ए0एस
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
विद्यालय शिक्षा विभाग, चण्डीगढ

GOVERNMENT OF HARYANA
SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
CHANDIGARH

NOTIFICATION

No. 12/3-2021 Exam (1) **Dated:-**

Subject:- **Notification of Monthly Stipend For BC-A Students studying in classes IXth to XIIth under Section-7 of the Aadhaar Act, 2016 (as amended by the Aadhaar and Other Laws (Amendment) Act, 2019).**

Whereas, the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the School Education Department is implementing the scheme Monthly Stipend for BC-A Students studying in classes from IXth to XIIth.

And whereas, under the Present Scheme, Scholarship disbursed to the beneficiaries through DBT Mode is given to the beneficiaries studying in Government schools in the classes from 9^{th} to 12^{th} as per the extant Scheme guidelines;

And whereas, the aforesaid Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of Haryana State Government (Finance Department)

Now, therefore, in pursuance of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (*hereinafter referred as the said Act*), the government of Haryana is hereby notifies the following, namely: -

1. (1) Any student desirous of availing the benefit under the Scheme shall hereby be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any student desirous of availing the benefit under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment subject to the consent of his parents or guardians, before registering for the Scheme provided that he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act and such student shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at the Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department through its Implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for

Aadhaar and in case there is no Aadhaar Enrolment Centre located in th respective Block Taluka Tehsil, the Department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar Enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming a UIDAI Registrar themselves:

Provided that, till the time Aadhaar is assigned to the student, the benefit under the Scheme shall be given to such student subject to production of the following documents, namely: -

(a) If the Beneficiaries, has been enrolled after attaining the age of five years (with biometrics collection), his Aadhaar Enrolment Identification slip, or of bio-metric update identification slip; and

(b) Any one of the following documents, namely:-

(i) Birth Certificate; or Record of birth issued by the appropriate authority; or

(ii) School identity card, duly signed by the Principal of the school, containing parents' names; and

(c) Any one of the following documents as proof of relationship of the beneficiary with the parent or legal guardian as per the extant Scheme guidelines, namely:–

(i) Birth Certificate; or Record of birth issued by the appropriate authority; or

(ii) Ration Card; or

(iii) Ex-Servicemen Contributory Health Scheme (ECHS) Card; or Employees' State Insurance Corporation (ESIC) Card; or Central Government Health Scheme (CGHS) Card; or

(iv) Pension Card; or

(v) Army Canteen Card; or

(vi) Any Government Family Entitlement Card; or

(vii) Any other document as specified by the Department:

Provided further that, the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.

2. In order to provide benefits to the students under the Present Scheme conveniently, the Department through its Implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through media shall be given to the eligible students to make them aware of the said requirement.

3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the eligible students or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely: -

(a) In case of poor Fingerprint quality, Iris scan or Face authentication facility shall be adopted for authentication, thereby the Department through its Implementing agency shall make provisions for Iris scanners or Face authentication along with Finger-print authentication for delivery of benefits in seamless manner;

(b) In case the biometric authentication through Fingerprints or Iris scan or Face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;

(c) In all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password authentication is not possible, benefits under the scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the quick response code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of quick response code reader shall be provided at the convenient locations by the Department through its Implementing Agency.

4. Notwithstanding anything contained herein above, no student shall be denied benefit under this Scheme in case of failure to establish his identity by undergoing authentication, or furnishing proof of possession of Aadhaar number, or in the case of a student to whom no Aadhaar number has been assigned, submitting an application for enrolment. The benefit shall be given to him by verifying his identity on the basis of other documents as mentioned in clause (b) and (c) of the proviso of sub-paragraph (3) of paragraph 1, and where benefit is given on the basis of such other documents, a separate register shall be maintained to record the same, which shall be reviewed and audited periodically by the Department through its Implementing Agency.

5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette.

(Dr. Mahavir Singh), IAS
Additional Chief Secretary to Government of Haryana,
School Education Department, Chandigarh

हरियाणा सरकार
विद्यालय शिक्षा विभाग
चण्डीगढ

अधिसूचना

क्रमांकः— 12/3—2021 परीक्षा (1) दिनांकः—

विषयः— आधार अधिनियम 2016 की धारा—7 के तहत कक्षा नौवीं से बारहवीं तक के बी.सी—ए वर्ग के विद्यार्थियो के लिये मासिक छात्रवृति योजना की अधिसूचना, जैसा कि आधार और अन्य कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 में संशोधित किया गया है।

****

सेवाओं या लाभों या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिये एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रकियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता व दक्षता लाता है और लाभार्थियों को सुविधाजनक और निर्बाध रीति से उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है तथा आधार किसी की पहचान को साबित करने के लिये विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और जबकि, सैकण्डरी शिक्षा विभाग बी.सी—ए वर्ग के कक्षा नौवीं से बारहवीं तक के विद्यार्थियों के लिये मासिक छात्रवृति योजना का संचालन कर रहा है।

और जैसा कि इस योजना के अधीन योजना के मौजूदा दिशा निर्देशों के अनसुार राज्य सरकार सरकारी स्कूलों में पढने वाले बी.सी—ए वर्ग के नौवीं से बारहवीं तक के विद्यार्थियों को डायरेक्ट बैनिफिट ट्रांस्फर (डी.बी.टी) माध्यम से प्रदान करती है।

और उपरोक्त योजना के तहत व्यय हरियाणा सरकार की समेकित निधि (वित्त विभाग) से होने वाले आवर्ती व्यय में शामिल है:

अतः अब हरियाणा सरकार आधार अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 7 के उपबंधो के अनुसरण में (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) बारे निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात—

1 (1) योजना के अधीन प्रसुविधा लेने के इच्छुक प्रत्येक पात्र बच्चे से अपेक्षा की जाती है कि वह आधार संख्या रखने का प्रमाण प्रस्तुत करेगा अथवा उसे आधार प्रमाणीकरण करवाना होगा।

(2) योजना के अधीन प्रसुविधा पाने का इच्छुक प्रत्येक बच्चा जो आधार संख्या नहीं रखता है या जिसने आधार के लिए अभी तक नामाकंन नहीं किया है, उसे योजना के लिए पंजीकरण करने से पहले अपने माता—पिता या अभिभावकों की सहमति से आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा, बशर्ते वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधो के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार है और ऐसे बच्चे आधार नामांकन के लिए किसी भी आधार नामांकन केन्द (केन्द्रों की सूची भारतीय विशिष्ट पहचाान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) पर संपर्क कर संकेगे।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) अधिनियम, 2016 के विनियमन 12 के अनुसार विभाग द्वारा कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से, उन लाभार्थियों के लिए जो अभी आधार हेतु नामांकित नही हुए है, के आधार नामांकन सुविधाओं की व्यवस्था करना अपेक्षित है और यदि संबंधित ब्लाक या तालुका या तहसील में आधार नामांकन केंद्र स्थित नहीं हो तो विभाग कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से यूआईडीएआई के मौजूदा रजिस्ट्रार के सहयोग से या स्वतः यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनते हुए सुविधाजनक स्थान पर आधार नामांकन सुविधांए उपलब्ध कराएगाः

बशर्ते कि किसी बच्चे को आधार प्रदान किए जाने तक उसे निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर प्रसुविधा प्रदान की जाएगी, अर्थातः—

(क) यदि बच्चा पांच साल की उम्र (बायोमैट्रिक्स संगह के साथ), प्राप्त करने के बाद नामांकित किया गया है, उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची, अथवा बायोमैट्रिक्स अपडेट पहचान पर्ची; और

(ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक हो, अर्थातः—

i. जन्म प्रमाणपत्र; अथवा यथोचित प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जन्म का रिकार्ड; अथवा
ii. स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित स्कूल का पहचान पत्र, जिसमें माता–पिता के नाम हों; और

(ग) मौजूदा योजना के दिशा निर्देशों के अनुरूप, माता–पिता या वैधानिक अभिभावक के साथ प्रसुविद्यार्थी के संबंध के सबूत के तौर पर निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज; अर्थातः–

i. जन्म प्रमाणपत्रः अथवा यथोचित प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जन्म का रिकार्ड; अथवा
ii. राशन कार्ड; अथवा
iii. भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ई.सी.एच.एस) कार्ड; अथवा कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई.एस,आई. सी) कार्ड; अथवा केन्द्र सरकार की स्वास्थ्य योजना (सी.जी.एच.एस) कार्ड; अथवा
iv. पेंशन कार्ड; अथवा
v. आर्मी कैंटीन कार्ड; अथवा
vi. कोई भी सरकारी परिवार पात्रता/हकदारी कार्ड; अथवा
vii. विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज;

बशर्ते कि उपर्युक्त दस्तावेजों की जांच विभाग द्वारा इस कार्य हेतु विशेष रूप से नामनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. योजना के अधीन प्रसुविधाएं सरलतापूर्वक प्रदान करने के लिए विभाग कार्यान्वयन एजेंसी के सहयोग से उक्त योजना के तहत आधार की आवश्यकता के प्रति लाभार्थियों को जागरूक करने के लिए मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार सुनिश्चित करेगा तथा इस हेतु सभी आवश्यक प्रबंध करेगा।

3. उन सभी मामलों मे, जहां लाभार्थियों के खराब बायोमैट्रिक्स के कारण अथवा किसी अन्य कारण से आधार अधिप्रमाणन असफल रहता है, वहां निम्नलिखित उपचारात्मक तंत्र अपनाया जाएगा, अर्थातः–

(क) खराब अंगुलीछाप गुणवता के मामले में, अधिप्रमाणन के लिए आईरिस स्कैन अथवा चेहरा अधिप्रमाणन सुविधा अपनाई जाएगी, इस हेतु विभाग आईरिस स्कैनर्स अथवा चेहरा अधिप्रमाणन के साथ अंगुलीछाप अधिप्रमाणन के लिए प्रावधान करेगा ताकि निर्बाध रीति के प्रसुविधा प्रदान की जा सके;

(ख) जहां अंगुली के माध्यम से बायोमैट्रिक्स अधिप्रमाणन अथवा आईरिस स्कैन अथवा चेहरा अधिप्रमाणन सफल न हो वहां व्यवहार्यता एवं स्वीकार्यता अनुसार सीमित समय वैधता वाले आधार वन टाईम पासवर्ड (ओटीपी) या समय आधारित वन टाइम पासवर्ड, जैसा भी मामला हो, द्वारा अधिप्रमाणन किया जाएगा;

(ग) अन्य सभी मामलों में जहां बायोमैट्रिक्स अथवा आधार वन टाईम पासवर्ड अथवा समय–आधारित वन–टाइम पासवर्ड अधिप्रमाणन संभव नहीं है, वहां योजना के अधीन प्रसुविधाएं भौतिक आधार पत्र के आधार पर प्रदान की जाएंगी, जिनकी अधिप्रामाणिकता आधार पत्र पर मुद्रित त्वरित प्रतिकिया (क्यूआर) कोड के माध्यम से सत्यापित की जा सकती है और त्वरित प्रतिकिया कोड रीडर विभाग द्वारा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से सुविधाजनक स्थान पर आवश्यक रूप से उपलब्ध कराया जाएगा।

4. उपरोक्त बातों के बावजूद, किसी भी बच्चे को प्रमाणीकरण के माध्यम से अपनी पहचान स्थापित करने में विफलता के मामले में, अथवा आधार संख्या का सबूत प्रस्तुत न करने अथवा जिसे आधार नंबर प्राप्त नही हुआ है, को नामांकन हेतु आवेदन पत्र की प्रति प्रस्तुत करने में विफल रहने पर भी योजना के तहत प्रसुविधा से वंचित नही किया जाएगा। उसे प्रसुविधा अन्य दस्तावेजों के आधार पर उसकी पहचान को सत्यापित करने उपरान्त, जैसा कि अनुच्छेद 1 के उप–अनुच्छेद (3) के उपबंधो (ख) और (ग) में वर्णित है, प्रदान की जाएगी और जहां प्रसुविधा ऐसे अन्य दस्तावेजों के आधार पर प्रदान की जाएगी, इस हेतु एक अलग रजिस्ट्रार में इसका रिकार्ड रखा जाएगा, जिसकी विभाग द्वारा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से समय–समय पर समीक्षा की जाएगी और आडिट किया जाएगा।

5. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

(डा0 महावीर सिंह), आई0ए0एस
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
विद्यालय शिक्षा विभाग, चण्डीगढ

GOVERNMENT OF HARYANA
SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
CHANDIGARH

NOTIFICATION

No. 12/3-2021 Exam (1) **Dated:-**

Subject:- **Notification of Monthly Stipend to BPL Students Studying in classes IXth to XIIth under Section-7 of the Aadhaar Act, 2016 (as amended by the Aadhaar and Other Laws (Amendment) Act, 2019).**

Whereas, the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the School Education Department is implementing the scheme Monthly Stipend for BPL Students in classes from IXth to XIIth.

And whereas, under the Present Scheme, Scholarship disbursed to the beneficiaries through DBT Mode is given to the beneficiaries studying in Government schools in the classes from 9th to 12th as per the extant Scheme guidelines;

And whereas, the aforesaid Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of Haryana State Government (Finance Department)

Now, therefore, in pursuance of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (*hereinafter referred as the said Act*), the government of Haryana is hereby notifies the following, namely: -

1. (1) Any student desirous of availing the benefit under the Scheme shall hereby be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any student desirous of availing the benefit under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment subject to the consent of his parents or guardians, before registering for the Scheme provided that he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act and such student shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at the Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department through its Implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for

Aadhaar and in case there is no Aadhaar Enrolment Centre located in the respective Block Taluka Tehsil, the Department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar Enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming a UIDAI Registrar themselves:

Provided that, till the time Aadhaar is assigned to the student, the benefit under the Scheme shall be given to such student subject to production of the following documents, namely: -

(a) If the Beneficiaries, has been enrolled after attaining the age of five years (with biometrics collection), his Aadhaar Enrolment Identification slip, or of bio-metric update identification slip; and

(b) Any one of the following documents, namely:-

(i) Birth Certificate; or Record of birth issued by the appropriate authority; or

(ii) School identity card, duly signed by the Principal of the school, containing parents' names; and

(c) Any one of the following documents as proof of relationship of the beneficiary with the parent or legal guardian as per the extant Scheme guidelines, namely:–

(i) Birth Certificate; or Record of birth issued by the appropriate authority; or

(ii) Ration Card; or

(iii) Ex-Servicemen Contributory Health Scheme (ECHS) Card; or Employees' State Insurance Corporation (ESIC) Card; or Central Government Health Scheme (CGHS) Card; or

(iv) Pension Card; or

(v) Army Canteen Card; or

(vi) Any Government Family Entitlement Card; or

(vii) Any other document as specified by the Department:

Provided further that, the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.

2. In order to provide benefits to the students under the Present Scheme conveniently, the Department through its Implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through media shall be given to the eligible students to make them aware of the said requirement.

3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the eligible students or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely: -

(a) In case of poor Fingerprint quality, Iris scan or Face authentication facility shall be adopted for authentication, thereby the Department through its Implementing agency shall make provisions for Iris scanners or Face authentication along with Finger-print authentication for delivery of benefits in seamless manner;

(b) In case the biometric authentication through Fingerprints or Iris scan or Face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;

(c) In all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password authentication is not possible, benefits under the scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the quick response code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of quick response code reader shall be provided at the convenient locations by the Department through its Implementing Agency.

4. Notwithstanding anything contained herein above, no student shall be denied benefit under this Scheme in case of failure to establish his identity by undergoing authentication, or furnishing proof of possession of Aadhaar number, or in the case of a student to whom no Aadhaar number has been assigned, submitting an application for enrolment. The benefit shall be given to him by verifying his identity on the basis of other documents as mentioned in clause (b) and (c) of the proviso of sub-paragraph (3) of paragraph 1, and where benefit is given on the basis of such other documents, a separate register shall be maintained to record the same, which shall be reviewed and audited periodically by the Department through its Implementing Agency.

5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette.

(Dr. Mahavir Singh), IAS
Additional Chief Secretary to Government of Haryana,
School Education Department, Chandigarh

हरियाणा सरकार
विद्यालय शिक्षा विभाग
चण्डीगढ

अधिसूचना

कमांकः— 12/3—2021 परीक्षा (1) दिनांकः—

विषयः— आधार अधिनियम 2016 की धारा—7 के तहत कक्षा नौवीं से बारहवीं तक के बी.पी.एल वर्ग के छात्रों के लिये मासिक छात्रवृति योजना की अधिसूचना, जैसा कि आधार और अन्य कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 में संशोधित किया गया है।

****

सेवाओं या लाभों या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिये एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रकियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता व दक्षता लाता है और लाभार्थियों को सुविधाजनक और निर्बाध रीति से उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है तथा आधार किसी की पहचान को साबित करने के लिये विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और जबकि, सैकण्डरी शिक्षा विभाग बी.पी.एल वर्ग के कक्षा नौवीं से बारहवीं तक के विद्यार्थियों के लिये मासिक छात्रवृति की योजना का संचालन कर रहा है।

और जैसा कि इस योजना के अधीन योजना के मौजूदा दिशा निर्देशों के अनसुार राज्य सरकार सरकारी स्कूलों में पढने वाले बी.पी.एल वर्ग के नौवीं से बारहवीं तक के विद्यार्थियों को डायरेक्ट बैनिफिट ट्रांस्फर (डी.बी.टी) माध्यम से प्रदान करती है।

और उपरोक्त योजना के तहत व्यय हरियाणा सरकार की समेकित निधि (वित्त विभाग) से होने वाले आवर्ती व्यय में शामिल है:

अतः अब हरियाणा सरकार आधार अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 7 के उपबंधो के अनुसरण में (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) बारे निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात—

1 (1) योजना के अधीन प्रसुविधा लेने के इच्छुक प्रत्येक पात्र बच्चे से अपेक्षा की जाती है कि वह आधार संख्या रखने का प्रमाण प्रस्तुत करेगा अथवा उसे आधार प्रमाणीकरण करवाना होगा।

(2) योजना के अधीन प्रसुविधा पाने का इच्छुक प्रत्येक बच्चा जो आधार संख्या नहीं रखता है या जिसने आधार के लिए अभी तक नामाकंन नहीं किया है, उसे योजना के लिए पंजीकरण करने से पहले अपने माता—पिता या अभिभावकों की सहमति से आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा, बशर्ते वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधो के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार है और ऐसे बच्चे आधार नामांकन के लिए किसी भी आधार नामांकन केन्द (केन्द्रों की सूची भारतीय विशिष्ट पहचाान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) पर संपर्क कर संकेगे।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) अधिनियम, 2016 के विनियमन 12 के अनुसार विभाग द्वारा कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से, उन लाभार्थियों के लिए जो अभी आधार हेतु नामांकित नही हुए है, के आधार नामांकन सुविधाओं की व्यवस्था करना अपेक्षित है और यदि संबंधित ब्लाक या तालुका या तहसील में आधार नामांकन केंद्र स्थित नहीं हो तो विभाग कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से यूआईडीएआई के मौजूदा रजिस्ट्रार के सहयोग से या स्वतः यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनते हुए सुविधाजनक स्थान पर आधार नामांकन सुविधांए उपलब्ध कराएगाः

बशर्ते कि किसी बच्चे को आधार प्रदान किए जाने तक उसे निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर प्रसुविधा प्रदान की जाएगी, अर्थातः—

(क) यदि बच्चा पांच साल की उम्र (बायोमैट्रिक्स संगह के साथ), प्राप्त करने के बाद नामांकित किया गया है, उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची, अथवा बायोमैट्रिक्स अपडेट पहचान पर्ची; और

(ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक हो, अर्थातः—

i. जन्म प्रमाणपत्र; अथवा यथोचित प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जन्म का रिकार्ड; अथवा

ii. स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित स्कूल का पहचान पत्र, जिसमें माता–पिता के नाम हों; और

(ग) मौजूदा योजना के दिशा निर्देशों के अनुरूप, माता–पिता या वैधानिक अभिभावक के साथ प्रसुविद्यार्थी के संबंध के सबूत के तौर पर निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज; अर्थातः–

i. जन्म प्रमाणपत्र: अथवा यथोचित प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जन्म का रिकार्ड; अथवा

ii. राशन कार्ड; अथवा

iii. भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ई.सी.एच.एस) कार्ड; अथवा कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई.एस,आई.सी) कार्ड; अथवा केन्द्र सरकार की स्वास्थ्य योजना (सी.जी.एच.एस) कार्ड; अथवा

iv. पेंशन कार्ड; अथवा

v. आर्मी कैटीन कार्ड; अथवा

vi. कोई भी सरकारी परिवार पात्रता/हकदारी कार्ड; अथवा

vii. विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज;

बशर्ते कि उपर्युक्त दस्तावेजों की जांच विभाग द्वारा इस कार्य हेतु विशेष रूप से नामनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. योजना के अधीन प्रसुविधाएं सरलतापूर्वक प्रदान करने के लिए विभाग कार्यान्वयन एजेंसी के सहयोग से उक्त योजना के तहत आधार की आवश्यकता के प्रति लाभार्थियों को जागरूक करने के लिए मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार सुनिश्चित करेगा तथा इस हेतु सभी आवश्यक प्रबंध करेगा।

3. उन सभी मामलों मे, जहां लाभार्थियों के खराब बायोमैट्रिक्स के कारण अथवा किसी अन्य कारण से आधार अधिप्रमाणन असफल रहता है, वहां निम्नलिखित उपचारात्मक तंत्र अपनाया जाएगा, अर्थातः–

(क) खराब अंगुलीछाप गुणवता के मामले में, अधिप्रमाणन के लिए आईरिस स्कैन अथवा चेहरा अधिप्रमाणन सुविधा अपनाई जाएगी, इस हेतु विभाग आईरिस स्कैनर्स अथवा चेहरा अधिप्रमाणन के साथ अंगुलीछाप अधिप्रमाणन के लिए प्रावधान करेगा ताकि निर्बाध रीति के प्रसुविधा प्रदान की जा सके;

(ख) जहां अंगुली के माध्यम से बायोमैट्रिक्स अधिप्रमाणन अथवा आईरिस स्कैन अथवा चेहरा अधिप्रमाणन सफल न हो वहां व्यवहार्यता एवं स्वीकार्यता अनुसार सीमित समय वैधता वाले आधार वन टाईम पासवर्ड (ओटीपी) या समय आधारित वन टाइम पासवर्ड, जैसा भी मामला हो, द्वारा अधिप्रमाणन किया जाएगा;

(ग) अन्य सभी मामलों में जहां बायोमैट्रिक्स अथवा आधार वन टाईम पासवर्ड अथवा समय–आधारित वन–टाइम पासवर्ड अधिप्रमाणन संभव नहीं है, वहां योजना के अधीन प्रसुविधाएं भौतिक आधार पत्र के आधार पर प्रदान की जाएंगी, जिनकी अधिप्रामाणिकता आधार पत्र पर मुद्रित त्वरित प्रतिकिया (क्यूआर) कोड के माध्यम से सत्यापित की जा सकती है और त्वरित प्रतिकिया कोड रीडर विभाग द्वारा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से सुविधाजनक स्थान पर आवश्यक रूप से उपलब्ध कराया जाएगा।

4. उपरोक्त बातों के बावजूद, किसी भी बच्चे को प्रमाणीकरण के माध्यम से अपनी पहचान स्थापित करने में विफलता के मामले में, अथवा आधार संख्या का सबूत प्रस्तुत न करने अथवा जिसे आधार नंबर प्राप्त नही हुआ है, को नामांकन हेतु आवेदन पत्र की प्रति प्रस्तुत करने में विफल रहने पर भी योजना के तहत प्रसुविधा से वंचित नही किया जाएगा। उसे प्रसुविधा अन्य दस्तावेजों के आधार पर उसकी पहचान को सत्यापित करने उपरान्त, जैसा कि अनुच्छेद 1 के उप–अनुच्छेद (3) के उपबंधो (ख) और (ग) में वर्णित है, प्रदान की जाएगी और जहां प्रसुविधा ऐसे अन्य दस्तावेजों के आधार पर प्रदान की जाएगी, इस हेतु एक अलग रजिस्ट्रार में इसका रिकार्ड रखा जाएगा, जिसकी विभाग द्वारा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से समय–समय पर समीक्षा की जाएगी और आडिट किया जाएगा।

5. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

(डा0 महावीर सिंह), आई0ए0एस
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
विद्यालय शिक्षा विभाग, चण्डीगढ

5

GOVERNMENT OF HARYANA
SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
CHANDIGARH

NOTIFICATION

No. 12/3-2021 Exam (1) **Dated:-**

Subject:- **Notification of Monthly Stipend to Grandson and Granddaughter of Freedom Fighters studying in classes Ist to XIIth under Section-7 of the Aadhaar Act, 2016 (as amended by the Aadhaar and Other Laws (Amendment) Act, 2019).**

Whereas, the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the School Education Department is implementing the scheme Monthly Stipend to Grandson and Granddaughter of Freedom Fighters;

And whereas, under the Present Scheme, Scholarship disbursed to the beneficiaries through DBT Mode is given to the beneficiaries studying in Government schools in the classes from 1st to 12th as per the extant Scheme guidelines;

And whereas, the aforesaid Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of Haryana State Government (Finance Department)

Now, therefore, in pursuance of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (*hereinafter referred as the said Act*), the government of Haryana is hereby notifies the following, namely: -

1. (1) Any student desirous of availing the benefit under the Scheme shall hereby be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any student desirous of availing the benefit under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment subject to the consent of his parents or guardians, before registering for the Scheme provided that he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act and such student shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at the Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department through its Implementing Agency, is required to offer

Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar Enrolment Centre located in the respective Block Taluka Tehsil, the Department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar Enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming a UIDAI Registrar themselves:

Provided that, till the time Aadhaar is assigned to the student, the benefit under the Scheme shall be given to such student subject to production of the following documents, namely: -

(a) If the Beneficiaries, has been enrolled after attaining the age of five years (with biometrics collection), his Aadhaar Enrolment Identification slip, or of bio-metric update identification slip; and

(b) Any one of the following documents, namely:-

(i) Birth Certificate; or Record of birth issued by the appropriate authority; or

(ii) School identity card, duly signed by the Principal of the school, containing parents' names; and

(c) Any one of the following documents as proof of relationship of the beneficiary with the parent or legal guardian as per the extant Scheme guidelines, namely:–

(i) Birth Certificate; or Record of birth issued by the appropriate authority; or

(ii) Ration Card; or

(iii) Ex-Servicemen Contributory Health Scheme (ECHS) Card; or Employees' State Insurance Corporation (ESIC) Card; or Central Government Health Scheme (CGHS) Card; or

(iv) Pension Card; or

(v) Army Canteen Card; or

(vi) Any Government Family Entitlement Card; or

(vii) Any other document as specified by the Department:

Provided further that, the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.

2. In order to provide benefits to the students under the Present Scheme conveniently, the Department through its Implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through media shall be given to the eligible students to make them aware of the said requirement.

3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the eligible students or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely: -

(a) In case of poor Fingerprint quality, Iris scan or Face authentication facility shall be adopted for authentication, thereby the Department through its Implementing agency shall make provisions for Iris scanners or Face authentication along with Finger-print authentication for delivery of benefits in seamless manner;

(b) In case the biometric authentication through Fingerprints or Iris scan or Face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;

(c) In all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password authentication is not possible, benefits under the scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the quick response code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of quick response code reader shall be provided at the convenient locations by the Department through its Implementing Agency.

4. Notwithstanding anything contained herein above, no student shall be denied benefit under this Scheme in case of failure to establish his identity by undergoing authentication, or furnishing proof of possession of Aadhaar number, or in the case of a student to whom no Aadhaar number has been assigned, submitting an application for enrolment. The benefit shall be given to him by verifying his identity on the basis of other documents as mentioned in clause (b) and (c) of the proviso of sub-paragraph (3) of paragraph 1, and where benefit is given on the basis of such other documents, a separate register shall be maintained to record the same, which shall be reviewed and audited periodically by the Department through its Implementing Agency.

5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette.

(Dr. Mahavir Singh), IAS
Additional Chief Secretary to Government of Haryana,
School Education Department, Chandigarh

हरियाणा सरकार
विद्यालय शिक्षा विभाग
चण्डीगढ

अधिसूचना

कमांकः– 12/3–2021 परीक्षा (1) दिनांकः–

विषयः– आधार अधिनियम 2016 की धारा–7 के तहत 'कक्षा पहली से बारहवीं मे पढ रहे स्वतंत्रता सेनानियों के पोते/पोतियों के लिये मासिक छात्रवृति योजना' की अधिसूचना, जैसा कि आधार और अन्य कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 में संशोधित किया गया है।

****

सेवाओं या लाभों या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिये एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रकियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता व दक्षता लाता है और लाभार्थियों को सुविधाजनक और निर्बाध रीति से उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है तथा आधार किसी की पहचान को साबित करने के लिये विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और जबकि, सैकण्डरी शिक्षा विभाग कक्षा पहली से बारहवीं मे पढ रहे स्वतंत्रता सेनानियों के पोते/पोतियों के लिये मासिक छात्रवृति योजना का संचालन कर रहा है।

और जैसा कि इस योजना के अधीन योजना के मौजूदा दिशा निर्देशों के अनसुार राज्य सरकार सरकारी स्कूलों में पढने वाले पहली से बारहवीं तक के विद्यार्थियों को डायरेक्ट बैनिफिट ट्रांस्फर (डी.बी.टी) माध्यम से प्रदान करती है।

और उपरोक्त योजना के तहत व्यय हरियाणा सरकार की समेकित निधि (वित्त विभाग) से होने वाले आवर्ती व्यय में शामिल हैः

अतः अब हरियाणा सरकार आधार अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 7 के उपबंधो के अनुसरण में (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) बारे निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात–

1 (1) योजना के अधीन प्रसुविधा लेने के इच्छुक प्रत्येक पात्र बच्चे से अपेक्षा की जाती है कि वह आधार संख्या रखने का प्रमाण प्रस्तुत करेगा अथवा उसे आधार प्रमाणीकरण करवाना होगा।

(2) योजना के अधीन प्रसुविधा पाने का इच्छुक प्रत्येक बच्चा जो आधार संख्या नहीं रखता है या जिसने आधार के लिए अभी तक नामाकंन नहीं किया है, उसे योजना के लिए पंजीकरण करने से पहले अपने माता–पिता या अभिभावकों की सहमति से आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा, बशर्ते वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधो के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार है और ऐसे बच्चे आधार नामांकन के लिए किसी भी आधार नामांकन केन्द (केन्द्रों की सूची भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) पर संपर्क कर संकेगे।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) अधिनियम, 2016 के विनियमन 12 के अनुसार विभाग द्वारा कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से, उन लाभार्थियों के लिए जो अभी आधार हेतु नामांकित नही हुए है, के आधार नामांकन सुविधाओं की व्यवस्था करना अपेक्षित है और यदि संबंधित ब्लाक या तालुका या तहसील में आधार नामांकन केंद्र स्थित नहीं हो तो विभाग कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से यूआईडीएआई के मौजूदा रजिस्ट्रार के सहयोग से या स्वतः यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनते हुए सुविधाजनक स्थान पर आधार नामांकन सुविधांए उपलब्ध कराएगाः

बशर्ते कि किसी बच्चे को आधार प्रदान किए जाने तक उसे निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर प्रसुविधा प्रदान की जाएगी, अर्थातः–

(क) यदि बच्चा पांच साल की उम्र (बायोमैट्रिक्स संगह के साथ), प्राप्त करने के बाद नामांकित किया गया है, उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची, अथवा बायोमैट्रिक्स अपडेट पहचान पर्ची; और

(ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक हो, अर्थातः–

i. जन्म प्रमाणपत्र; अथवा यथोचित प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जन्म का रिकार्ड; अथवा

ii. स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित स्कूल का पहचान पत्र, जिसमें माता–पिता के नाम हों; और

(ग) मौजूदा योजना के दिशा निर्देशों के अनुरूप, माता–पिता या वैधानिक अभिभावक के साथ प्रसुविद्यार्थी के संबंध के सबूत के तौर पर निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज; अर्थातः–

i. जन्म प्रमाणपत्र: अथवा यथोचित प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जन्म का रिकार्ड; अथवा

ii. राशन कार्ड; अथवा

iii. भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ई.सी.एच.एस) कार्ड; अथवा कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई.एस.आई.सी) कार्ड; अथवा केन्द्र सरकार की स्वास्थ्य योजना (सी.जी.एच.एस) कार्ड; अथवा

iv. पेंशन कार्ड; अथवा

v. आर्मी कैंटीन कार्ड; अथवा

vi. कोई भी सरकारी परिवार पात्रता/हकदारी कार्ड; अथवा

vii. विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज;

बशर्ते कि उपर्युक्त दस्तावेजों की जांच विभाग द्वारा इस कार्य हेतु विशेष रूप से नामनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. योजना के अधीन प्रसुविधाएं सरलतापूर्वक प्रदान करने के लिए विभाग कार्यान्वयन एजेंसी के सहयोग से उक्त योजना के तहत आधार की आवश्यकता के प्रति लाभार्थियों को जागरूक करने के लिए मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार सुनिश्चित करेगा तथा इस हेतु सभी आवश्यक प्रबंध करेगा।

3. उन सभी मामलों मे, जहां लाभार्थियों के खराब बायोमैट्रिक्स के कारण अथवा किसी अन्य कारण से आधार अधिप्रमाणन असफल रहता है, वहां निम्नलिखित उपचारात्मक तंत्र अपनाया जाएगा, अर्थातः–

(क) खराब अंगुलीछाप गुणवता के मामले में, अधिप्रमाणन के लिए आईरिस स्कैन अथवा चेहरा अधिप्रमाणन सुविधा अपनाई जाएगी, इस हेतु विभाग आईरिस स्कैनर्स अथवा चेहरा अधिप्रमाणन के साथ अंगुलीछाप अधिप्रमाणन के लिए प्रावधान करेगा ताकि निर्बाध रीति के प्रसुविधा प्रदान की जा सके;

(ख) जहां अंगुली के माध्यम से बायोमैट्रिक्स अधिप्रमाणन अथवा आईरिस स्कैन अथवा चेहरा अधिप्रमाणन सफल न हो वहां व्यवहार्यता एवं स्वीकार्यता अनुसार सीमित समय वैधता वाले आधार वन टाईम पासवर्ड (ओटीपी) या समय आधारित वन टाइम पासवर्ड, जैसा भी मामला हो, द्वारा अधिप्रमाणन किया जाएगा;

(ग) अन्य सभी मामलों में जहां बायोमैट्रिक्स अथवा आधार वन टाईम पासवर्ड अथवा समय–आधारित वन–टाइम पासवर्ड अधिप्रमाणन संभव नहीं है, वहां योजना के अधीन प्रसुविधाएं भौतिक आधार पत्र के आधार पर प्रदान की जाएंगी, जिनकी अधिप्रामाणिकता आधार पत्र पर मुद्रित त्वरित प्रतिकिया (क्यूआर) कोड के माध्यम से सत्यापित की जा सकती है और त्वरित प्रतिकिया कोड रीडर विभाग द्वारा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से सुविधाजनक स्थान पर आवश्यक रूप से उपलब्ध कराया जाएगा।

4. उपरोक्त बातों के बावजूद, किसी भी बच्चे को प्रमाणीकरण के माध्यम से अपनी पहचान स्थापित करने में विफलता के मामले में, अथवा आधार संख्या का सबूत प्रस्तुत न करने अथवा जिसे आधार नंबर प्राप्त नही हुआ है, को नामांकन हेतु आवेदन पत्र की प्रति प्रस्तुत करने में विफल रहने पर भी योजना के तहत प्रसुविधा से वंचित नही किया जाएगा। उसे प्रसुविधा अन्य दस्तावेजों के आधार पर उसकी पहचान को सत्यापित करने उपरान्त, जैसा कि अनुच्छेद 1 के उप–अनुच्छेद (3) के उपबंधो (ख) और (ग) में वर्णित है, प्रदान की जाएगी और जहां प्रसुविधा ऐसे अन्य दस्तावेजों के आधार पर प्रदान की जाएगी, इस हेतु एक अलग रजिस्ट्रार में इसका रिकार्ड रखा जाएगा, जिसकी विभाग द्वारा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से समय–समय पर समीक्षा की जाएगी और आडिट किया जाएगा।

5. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

(डा0 महावीर सिंह), आई0ए0एस
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
विद्यालय शिक्षा विभाग, चण्डीगढ

6

GOVERNMENT OF HARYANA
SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
CHANDIGARH

NOTIFICATION

No. 12/3-2021 Exam (1) **Dated:-**

Subject:- **Notification of Education Encouragement for Excellence (EEE)-Rajiv Gandhi Scholarship Scheme for High/Senior Secondary Schools studying in classes IXth to XIIth under Section-7 of the Aadhaar Act, 2016 (as amended by the Aadhaar and Other Laws(Amendment)Act, 2019).**

Whereas, the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the School Education Department is implementing Education Encouragement for Excellence(EEE)-Rajiv Gandhi Scholarship Scheme for High/Senior Secondary Schools;

And whereas, under the Present Scheme, Scholarship disbursed to the beneficiaries through DBT Mode is given to the beneficiaries studying in Government schools in the classes from 9th to 12th as per the extant Scheme guidelines;

And whereas, the aforesaid Present Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of Haryana State Government (Finance Department)

Now, therefore, in pursuance of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (*hereinafter referred as the said Act*), the government of Haryana is hereby notifies the following, namely: -

1. (1) Any Student desirous of availing the benefit under the Scheme shall hereby be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

   (2) Any Student desirous of availing the benefit under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment subject to the consent of his parents or guardians, before registering for the Scheme provided that he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act and such children shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at the Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department through its Implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar Enrolment Centre located in the respective Block Taluka Tehsil, the Department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar Enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming a UIDAI Registrar themselves:

Provided that, till the time Aadhaar is assigned to the student, the benefit under the Scheme shall be given to such student subject to production of the following documents, namely: -

(a) If the Beneficiaries, has been enrolled after attaining the age of five years (with biometrics collection), his Aadhaar Enrolment Identification slip, or of bio-metric update identification slip; and

(b) Any one of the following documents, namely:-

(i) Birth Certificate; or Record of birth issued by the appropriate authority; or

(ii) School identity card, duly signed by the Principal of the school, containing parents' names; and

(c) Any one of the following documents as proof of relationship of the beneficiary with the parent or legal guardian as per the extant Scheme guidelines, namely:–

(i) Birth Certificate; or Record of birth issued by the appropriate authority; or

(ii) Ration Card; or

(iii) Ex-Servicemen Contributory Health Scheme (ECHS) Card; or Employees' State Insurance Corporation (ESIC) Card; or Central Government Health Scheme (CGHS) Card; or

(iv) Pension Card; or

(v) Army Canteen Card; or

(vi) Any Government Family Entitlement Card; or

(vii) Any other document as specified by the Department:

Provided further that, the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.

2. In order to provide benefits to the students under the Present Scheme conveniently, the Department through its Implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through media shall be given to the Eligible Students to make them aware of the said requirement.

3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the Eligible Students or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely: -

(a) In case of poor Fingerprint quality, Iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication, thereby the Department through its Implementing agency shall make provisions for Iris scanners or Face authentication along with finger-print authentication for delivery of benefits in seamless manner;

(b) In case the biometric authentication through Fingerprints or Iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;

(c) In all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password authentication is not possible, benefits under the scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the quick response code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of quick response code reader shall be provided at the convenient locations by the Department through its Implementing Agency.

4. Notwithstanding anything contained herein above, no student shall be denied benefit under this Scheme in case of failure to establish his identity by undergoing authentication, or furnishing proof of possession of Aadhaar number, or in the case of a student to whom no Aadhaar number has been assigned, submitting an application for enrolment. The benefit shall be given to him by verifying his identity on the basis of other documents as mentioned in clause (b) and (c) of the proviso of sub-paragraph (3) of paragraph 1, and where benefit is given on the basis of such other documents, a separate register shall be maintained to record the same, which shall be reviewed and audited periodically by the Department through its Implementing Agency.

5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette.

(Dr. Mahavir Singh), IAS
Additional Chief Secretary to Government of Haryana,
School Education Department, Chandigarh

हरियाणा सरकार
विद्यालय शिक्षा विभाग
चण्डीगढ

अधिसूचना

कमांकः– 12/3–2021 परीक्षा (1) दिनांकः–

विषयः– आधार अधिनियम 2016 की धारा–7 के तहत उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में पढ रहे कक्षा नौवीं से बारहवीं के छात्रों के लिए 'उत्कृष्टता शिक्षा प्रोत्साहन–राजीव गांधी छात्रवृति योजना' की अधिसूचना, जैसा कि आधार और अन्य कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 में संशोधित किया गया है।

****

सेवाओं या लाभों या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिये एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रकियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता व दक्षता लाता है और लाभार्थियों को सुविधाजनक और निर्बाध रीति से उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है तथा आधार किसी की पहचान को साबित करने के लिये विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और जबकि, सैकण्डरी शिक्षा विभाग उत्कृष्टता शिक्षा प्रोत्साहन–राजीव गांधी छात्रवृति योजना का संचालन कर रहा है।

और जैसा कि इस योजना के अधीन योजना के मौजूदा दिशा निर्देशों के अनसुार राज्य सरकार सरकारी स्कूलों में पढने वाले नौवीं से बारहवीं तक के विद्यार्थियों को डायरेक्ट बैनिफिट ट्रांस्फर (डी.बी.टी) माध्यम से प्रदान करती है।

और उपरोक्त योजना के तहत व्यय हरियाणा सरकार की समेकित निधि (वित्त विभाग) से होने वाले आवर्ती व्यय में शामिल हैः

अतः अब हरियाणा सरकार आधार अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 7 के उपबंधो के अनुसरण में (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) बारे निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात–

1 (1) योजना के अधीन प्रसुविधा लेने के इच्छुक प्रत्येक पात्र बच्चे से अपेक्षा की जाती है कि वह आधार संख्या रखने का प्रमाण प्रस्तुत करेगा अथवा उसे आधार प्रमाणीकरण करवाना होगा।

(2) योजना के अधीन प्रसुविधा पाने का इच्छुक प्रत्येक बच्चा जो आधार संख्या नहीं रखता है या जिसने आधार के लिए अभी तक नामाकंन नहीं किया है, उसे योजना के लिए पंजीकरण करने से पहले अपने माता–पिता या अभिभावकों की सहमति से आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा, बशर्ते वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधो के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार है और ऐसे बच्चे आधार नामांकन के लिए किसी भी आधार नामांकन केन्द (केन्द्रों की सूची भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) पर संपर्क कर संकेगे।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) अधिनियम, 2016 के विनियमन 12 के अनुसार विभाग द्वारा कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से, उन लाभार्थियों के लिए जो अभी आधार हेतु नामांकित नही हुए है, के आधार नामांकन सुविधाओं की व्यवस्था करना अपेक्षित है और यदि संबंधित ब्लाक या तालुका या तहसील में आधार नामांकन केंद्र स्थित नहीं हो तो विभाग कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से यूआईडीएआई के मौजूदा रजिस्ट्रार के सहयोग से या स्वतः यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनते हुए सुविधाजनक स्थान पर आधार नामांकन सुविधांए उपलब्ध कराएगाः

बशर्ते कि किसी बच्चे को आधार प्रदान किए जाने तक उसे निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर प्रसुविधा प्रदान की जाएगी, अर्थातः–

(क) यदि बच्चा पांच साल की उम्र (बायोमैट्रिक्स संगह के साथ), प्राप्त करने के बाद नामांकित किया गया है, उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची, अथवा बायोमैट्रिक्स अपडेट पहचान पर्ची; और

(ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक हो, अर्थातः–

i. जन्म प्रमाणपत्र; अथवा यथोचित प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जन्म का रिकार्ड; अथवा

ii. स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित स्कूल का पहचान पत्र, जिसमें माता–पिता के नाम हों; और

(ग) मौजूदा योजना के दिशा निर्देशों के अनुरूप, माता–पिता या वैधानिक अभिभावक के साथ प्रसुविद्यार्थी के संबंध के सबूत के तौर पर निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज; अर्थातः–

i. जन्म प्रमाणपत्र: अथवा यथोचित प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जन्म का रिकार्ड; अथवा

ii. राशन कार्ड; अथवा

iii. भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ई.सी.एच.एस) कार्ड; अथवा कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई.एस,आई.सी) कार्ड; अथवा केन्द्र सरकार की स्वास्थ्य योजना (सी.जी.एच.एस) कार्ड; अथवा

iv. पेंशन कार्ड; अथवा

v. आर्मी कैटीन कार्ड; अथवा

vi. कोई भी सरकारी परिवार पात्रता/हकदारी कार्ड; अथवा

vii. विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज;

बशर्ते कि उपर्युक्त दस्तावेजों की जांच विभाग द्वारा इस कार्य हेतु विशेष रूप से नामनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. योजना के अधीन प्रसुविधाएं सरलतापूर्वक प्रदान करने के लिए विभाग कार्यान्वियन एजेंसी के सहयोग से उक्त योजना के तहत आधार की आवश्यकता के प्रति लाभार्थियों को जागरूक करने के लिए मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार सुनिश्चित करेगा तथा इस हेतु सभी आवश्यक प्रबंध करेगा।

3. उन सभी मामलों मे, जहां लाभार्थियों के खराब बायोमैट्रिक्स के कारण अथवा किसी अन्य कारण से आधार अधिप्रमाणन असफल रहता है, वहां निम्नलिखित उपचारात्मक तंत्र अपनाया जाएगा, अर्थातः–

(क) खराब अंगुलीछाप गुणवता के मामले में, अधिप्रमाणन के लिए आईरिस स्कैन अथवा चेहरा अधिप्रमाणन सुविधा अपनाई जाएगी,. इस हेतु विभाग आईरिस स्कैनर्स अथवा चेहरा अधिप्रमाणन के साथ अंगुलीछाप अधिप्रमाणन के लिए प्रावधान करेगा ताकि निर्बाध रीति के प्रसुविधा प्रदान की जा सके;

(ख) जहां अंगुली के माध्यम से बायोमैट्रिक्स अधिप्रमाणन अथवा आईरिस स्कैन अथवा चेहरा अधिप्रमाणन सफल न हो वहां व्यवहार्यता एवं स्वीकार्यता अनुसार सीमित समय वैधता वाले आधार वन टाईम पासवर्ड (ओटीपी) या समय आधारित वन टाइम पासवर्ड, जैसा भी मामला हो, द्वारा अधिप्रमाणन किया जाएगा;

(ग) अन्य सभी मामलों में जहां बायोमैट्रिक्स अथवा आधार वन टाईम पासवर्ड अथवा समय–आधारित वन–टाइम पासवर्ड अधिप्रमाणन संभव नहीं है, वहां योजना के अधीन प्रसुविधाएं भौतिक आधार पत्र के आधार पर प्रदान की जाएंगी, जिनकी अधिप्रामाणिकता आधार पत्र पर मुद्रित त्वरित प्रतिकिया (क्यूआर) कोड के माध्यम से सत्यापित की जा सकती है और त्वरित प्रतिकिया कोड रीडर विभाग द्वारा कार्यान्वियन एजेंसी के माध्यम से सुविधाजनक स्थान पर आवश्यक रूप से उपलब्ध कराया जाएगा।

4. उपरोक्त बातों के बावजूद, किसी भी बच्चे को प्रमाणीकरण के माध्यम से अपनी पहचान स्थापित करने में विफलता के मामले में, अथवा आधार संख्या का सबूत प्रस्तुत न करने अथवा जिसे आधार नंबर प्राप्त नही हुआ है, को नामांकन हेतु आवेदन पत्र की प्रति प्रस्तुत करने में विफल रहने पर भी योजना के तहत प्रसुविधा से वंचित नही किया जाएगा। उसे प्रसुविधा अन्य दस्तावेजों के आधार पर उसकी पहचान को सत्यापित करने उपरान्त, जैसा कि अनुच्छेद 1 के उप–अनुच्छेद (3) के उपबंधो (ख) और (ग) में वर्णित है, प्रदान की जाएगी और जहां प्रसुविधा ऐसे अन्य दस्तावेजों के आधार पर प्रदान की जाएगी, इस हेतु एक अलग रजिस्ट्रार में इसका रिकार्ड रखा जाएगा, जिसकी विभाग द्वारा कार्यान्वियन एजेंसी के माध्यम से समय–समय पर समीक्षा की जाएगी और आडिट किया जाएगा।

5. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

(डा0 महावीर सिंह), आई0ए0एस
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
विद्यालय शिक्षा विभाग, चण्डीगढ

GOVERNMENT OF HARYANA
SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
CHANDIGARH

NOTIFICATION

No. 12/3-2021 Exam (1) **Dated:-**

Subject:- **Notification Award of Punjabi Second Language on the basis of Board Matric Exam conducted by Haryana School Education Board under Section-7 of the Aadhaar Act, 2016 (as amended by the Aadhaar and Other Laws(Amendment)Act, 2019).**

Whereas, the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the School Education Department is implementing the scheme Award of Punjabi Second Language on the basis of Board Matric Exam conducted by Haryana School Education Board;

And whereas, under the Present Scheme, Scholarship disbursed to the beneficiaries through DBT Mode is given to the beneficiaries studying in govt. Schools/Private/recognized schools in the classes from 11th to 12th as per the extant Scheme guidelines;

And whereas, the aforesaid Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of Haryana State Government (Finance Department)

Now, therefore, in pursuance of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (*hereinafter referred as the said Act*), the government of Haryana is hereby notifies the following, namely: -

1. (1) Any student desirous of availing the benefit under the Scheme shall hereby be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

   (2) Any student desirous of availing the benefit under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment subject to the consent of his parents or guardians, before registering for the Scheme provided that he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act and such student shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at the Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department through its Implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar Enrolment Centre located in the respective Block Taluka Tehsil, the Department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar Enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming a UIDAI Registrar themselves:

Provided that, till the time Aadhaar is assigned to the student, the benefit under the Scheme shall be given to such student subject to production of the following documents, namely: -

(a) If the Beneficiaries, has been enrolled after attaining the age of five years (with biometrics collection), his Aadhaar Enrolment Identification slip, or of bio-metric update identification slip; and

(b) Any one of the following documents, namely:-

(i) Birth Certificate; or Record of birth issued by the appropriate authority; or

(ii) School identity card, duly signed by the Principal of the school, containing parents' names; and

(c) Any one of the following documents as proof of relationship of the beneficiary with the parent or legal guardian as per the extant Scheme guidelines, namely:–

(i) Birth Certificate; or Record of birth issued by the appropriate authority; or

(ii) Ration Card; or

(iii) Ex-Servicemen Contributory Health Scheme (ECHS) Card; or Employees' State Insurance Corporation (ESIC) Card; or Central Government Health Scheme (CGHS) Card; or

(iv) Pension Card; or

(v) Army Canteen Card; or

(vi) Any Government Family Entitlement Card; or

(vii) Any other document as specified by the Department:

Provided further that, the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.

2. In order to provide benefits to the students under the Present Scheme conveniently, the Department through its Implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through media shall be given to the eligible students to make them aware of the said requirement.

3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the eligible students or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely: -

(a) In case of poor Fingerprint quality, Iris scan or Face authentication facility shall be adopted for authentication, thereby the Department through its Implementing agency shall make provisions for Iris scanners or Face authentication along with Finger-print authentication for delivery of benefits in seamless manner;

(b) In case the biometric authentication through Fingerprints or Iris scan or Face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;

(c) In all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password authentication is not possible, benefits under the scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the quick response code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of quick response code reader shall be provided at the convenient locations by the Department through its Implementing Agency.

4. Notwithstanding anything contained herein above, no student shall be denied benefit under this Scheme in case of failure to establish his identity by undergoing authentication, or furnishing proof of possession of Aadhaar number, or in the case of a student to whom no Aadhaar number has been assigned, submitting an application for enrolment. The benefit shall be given to him by verifying his identity on the basis of other documents as mentioned in clause (b) and (c) of the proviso of sub-paragraph (3) of paragraph 1, and where benefit is given on the basis of such other documents, a separate register shall be maintained to record the same, which shall be reviewed and audited periodically by the Department through its Implementing Agency.

5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette.

(Dr. Mahavir Singh), IAS
Additional Chief Secretary to Government of Haryana,
School Education Department, Chandigarh

7

हरियाणा सरकार
विद्यालय शिक्षा विभाग
चण्डीगढ

अधिसूचना

कमांक:– 12/3–2021 परीक्षा (1) दिनांक:–

विषय:– आधार अधिनियम 2016 की धारा–7 के तहत 'हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित मैट्रिक परीक्षा पर आधारित पंजाबी द्वितीय भाषा अवार्ड योजना' की अधिसूचना, जैसा कि आधार और अन्य कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 में संशोधित किया गया है।

****

सेवाओं या लाभों या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिये एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रकियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता व दक्षता लाता है और लाभार्थियों को सुविधाजनक और निर्बाध रीति से उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है तथा आधार किसी की पहचान को साबित करने के लिये विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और जबकि, सैकण्डरी शिक्षा विभाग बोर्ड मैट्रिक 'हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित मैट्रिक परीक्षा पर आधारित पंजाबी द्वितीय भाषा अवार्ड योजना' का संचालन कर रहा है।

और जैसा कि इस योजना के अधीन योजना के मौजूदा दिशा निर्देशों के अनसुार राज्य सरकार सरकारी स्कूलों में पढने वाले ग्याहरवी तथा बारहवीं तक के विद्यार्थियों को डायरेक्ट बैनिफिट ट्रांस्फर (डी.बी.टी) माध्यम से प्रदान करती है।

और उपरोक्त योजना के तहत व्यय हरियाणा सरकार की समेकित निधि (वित्त विभाग) से होने वाले आवर्ती व्यय में शामिल है:

अतः अब हरियाणा सरकार आधार अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 7 के उपबंधो के अनुसरण में (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) बारे निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात–

1 (1) योजना के अधीन प्रसुविधा लेने के इच्छुक प्रत्येक पात्र बच्चे से अपेक्षा की जाती है कि वह आधार संख्या रखने का प्रमाण प्रस्तुत करेगा अथवा उसे आधार प्रमाणीकरण करवाना होगा।

(2) योजना के अधीन प्रसुविधा पाने का इच्छुक प्रत्येक बच्चा जो आधार संख्या नहीं रखता है या जिसने आधार के लिए अभी तक नामाकंन नहीं किया है, उसे योजना के लिए पंजीकरण करने से पहले अपने माता–पिता या अभिभावकों की सहमति से आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा, बशर्ते वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधो के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार है और ऐसे बच्चे आधार नामांकन के लिए किसी भी आधार नामांकन केन्द (केन्द्रों की सूची भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) पर संपर्क कर संकेगे।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) अधिनियम, 2016 के विनियमन 12 के अनुसार विभाग द्वारा कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से, उन लाभार्थियों के लिए जो अभी आधार हेतु नामांकित नही हुए है, के आधार नामांकन सुविधाओं की व्यवस्था करना अपेक्षित है और यदि संबंधित ब्लाक या तालुका या तहसील में आधार नामांकन केंद्र स्थित नहीं हो तो विभाग कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से यूआईडीएआई के मौजूदा रजिस्ट्रार के सहयोग से या स्वतः यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनते हुए सुविधाजनक स्थान पर आधार नामांकन सुविधांए उपलब्ध कराएगा:

बशर्ते कि किसी बच्चे को आधार प्रदान किए जाने तक उसे निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर प्रसुविधा प्रदान की जाएगी, अर्थातः–

(क) यदि बच्चा पांच साल की उम्र (बायोमैट्रिक्स संगह के साथ), प्राप्त करने के बाद नामांकित किया गया है, उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची, अथवा बायोमैट्रिक्स अपडेट पहचान पर्ची; और

(ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक हो, अर्थातः–

i. जन्म प्रमाणपत्र; अथवा यथोचित प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जन्म का रिकार्ड; अथवा
ii. स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित स्कूल का पहचान पत्र, जिसमें माता–पिता के नाम हों; और

(ग) मौजूदा योजना के दिशा निर्देशों के अनुरूप, माता–पिता या वैधानिक अभिभावक के साथ प्रसुविद्यार्थी के संबंध के सबूत के तौर पर निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज; अर्थात:–

i. जन्म प्रमाणपत्र: अथवा यथोचित प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जन्म का रिकार्ड; अथवा
ii. राशन कार्ड; अथवा
iii. भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ई.सी.एच.एस) कार्ड; अथवा कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई.एस,आई.सी) कार्ड; अथवा केन्द्र सरकार की स्वास्थ्य योजना (सी.जी.एच.एस) कार्ड; अथवा
iv. पेंशन कार्ड; अथवा
v. आर्मी कैंटीन कार्ड; अथवा
vi. कोई भी सरकारी परिवार पात्रता/हकदारी कार्ड; अथवा
vii. विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज;

बशर्ते कि उपर्युक्त दस्तावेजों की जांच विभाग द्वारा इस कार्य हेतु विशेष रूप से नामनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. योजना के अधीन प्रसुविधाएं सरलतापूर्वक प्रदान करने के लिए विभाग कार्यान्वयन एजेंसी के सहयोग से उक्त योजना के तहत आधार की आवश्यकता के प्रति लाभार्थियों को जागरूक करने के लिए मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार सुनिश्चित करेगा तथा इस हेतु सभी आवश्यक प्रबंध करेगा।

3. उन सभी मामलों मे, जहां लाभार्थियों के खराब बायोमैट्रिक्स के कारण अथवा किसी अन्य कारण से आधार अधिप्रमाणन असफल रहता है, वहां निम्नलिखित उपचारात्मक तंत्र अपनाया जाएगा, अर्थात:–

(क) खराब अंगुलीछाप गुणवता के मामले में, अधिप्रमाणन के लिए आईरिस स्कैन अथवा चेहरा अधिप्रमाणन सुविधा अपनाई जाएगी, इस हेतु विभाग आईरिस स्कैनर्स अथवा चेहरा अधिप्रमाणन के साथ अंगुलीछाप अधिप्रमाणन के लिए प्रावधान करेगा ताकि निर्बाध रीति के प्रसुविधा प्रदान की जा सके;

(ख) जहां अंगुली के माध्यम से बायोमैट्रिक्स अधिप्रमाणन अथवा आईरिस स्कैन अथवा चेहरा अधिप्रमाणन सफल न हो वहां व्यवहार्यता एवं स्वीकार्यता अनुसार सीमित समय वैधता वाले आधार वन टाईम पासवर्ड (ओटीपी) या समय आधारित वन टाइम पासवर्ड, जैसा भी मामला हो, द्वारा अधिप्रमाणन किया जाएगा;

(ग) अन्य सभी मामलों में जहां बायोमैट्रिक्स अथवा आधार वन टाईम पासवर्ड अथवा समय–आधारित वन–टाइम पासवर्ड अधिप्रमाणन संभव नहीं है, वहां योजना के अधीन प्रसुविधाएं भौतिक आधार पत्र के आधार पर प्रदान की जाएंगी, जिनकी अधिप्रामाणिकता आधार पत्र पर मुद्रित त्वरित प्रतिकिया (क्यूआर) कोड के माध्यम से सत्यापित की जा सकती है और त्वरित प्रतिकिया कोड रीडर विभाग द्वारा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से सुविधाजनक स्थान पर आवश्यक रूप से उपलब्ध कराया जाएगा।

4. उपरोक्त बातों के बावजूद, किसी भी बच्चे को प्रमाणीकरण के माध्यम से अपनी पहचान स्थापित करने में विफलता के मामले में, अथवा आधार संख्या का सबूत प्रस्तुत न करने अथवा जिसे आधार नंबर प्राप्त नही हुआ है, को नामांकन हेतु आवेदन पत्र की प्रति प्रस्तुत करने में विफल रहने पर भी योजना के तहत प्रसुविधा से वंचित नही किया जाएगा। उसे प्रसुविधा अन्य दस्तावेजों के आधार पर उसकी पहचान को सत्यापित करने उपरान्त, जैसा कि अनुच्छेद 1 के उप–अनुच्छेद (3) के उपबंधो (ख) और (ग) में वर्णित है, प्रदान की जाएगी और जहां प्रसुविधा ऐसे अन्य दस्तावेजों के आधार पर प्रदान की जाएगी, इस हेतु एक अलग रजिस्ट्रार में इसका रिकार्ड रखा जाएगा, जिसकी विभाग द्वारा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से समय–समय पर समीक्षा की जाएगी और आडिट किया जाएगा।

5. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

(डा0 महावीर सिंह), आई0ए0एस
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
विद्यालय शिक्षा विभाग, चण्डीगढ

GOVERNMENT OF HARYANA
SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
CHANDIGARH

NOTIFICATION

No. 12/3-2021 Exam (1) **Dated:-**

Subject:- **Notification of Providing Free Bicycles to SC Students Boys and Girls studying in classes IX and XI under Section-7 of the Aadhaar Act, 2016 (as amended by the Aadhaar and Other Laws(Amendment) Act, 2019).**

Whereas, the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the School Education Department is implementing the scheme Providing Free Bicycles to SC Students Boys and Girls studying in classes IX and XI.

And whereas, under the Present Scheme, Scholarship disbursed to the beneficiaries through DBT Mode is given to the beneficiaries studying in govt. Schools/Private/recognized schools in the classes 11th to 12th as per the extant Scheme guidelines;

And whereas, the aforesaid Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of Haryana State Government (Finance Department)

Now, therefore, in pursuance of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (*hereinafter referred as the said Act*), the government of Haryana is hereby notifies the following, namely: -

1. (1) Any student desirous of availing the benefit under the Scheme shall hereby be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

   (2) Any student desirous of availing the benefit under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment subject to the consent of his parents or guardians, before registering for the Scheme provided that he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act and such student shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at the Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department through its Implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar Enrolment Centre located in the respective Block Taluka Tehsil, the Department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar Enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming a UIDAI Registrar themselves:

Provided that, till the time Aadhaar is assigned to the student, the benefit under the Scheme shall be given to such student subject to production of the following documents, namely: -

(a) If the Beneficiaries, has been enrolled after attaining the age of five years (with biometrics collection), his Aadhaar Enrolment Identification slip, or of bio-metric update identification slip; and

(b) Any one of the following documents, namely:-

(i) Birth Certificate; or Record of birth issued by the appropriate authority; or

(ii) School identity card, duly signed by the Principal of the school, containing parents' names; and

(c) Any one of the following documents as proof of relationship of the beneficiary with the parent or legal guardian as per the extant Scheme guidelines, namely:–

(i) Birth Certificate; or Record of birth issued by the appropriate authority; or

(ii) Ration Card; or

(iii) Ex-Servicemen Contributory Health Scheme (ECHS) Card; or Employees' State Insurance Corporation (ESIC) Card; or Central Government Health Scheme (CGHS) Card; or

(iv) Pension Card; or

(v) Army Canteen Card; or

(vi) Any Government Family Entitlement Card; or

(vii) Any other document as specified by the Department:

Provided further that, the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.

2. In order to provide benefits to the students under the Present Scheme conveniently, the Department through its Implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through media shall be given to the eligible students to make them aware of the said requirement.

3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the eligible students or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely: -

(a) In case of poor Fingerprint quality, Iris scan or Face authentication facility shall be adopted for authentication, thereby the Department through its Implementing agency shall make provisions for Iris scanners or Face authentication along with Finger-print authentication for delivery of benefits in seamless manner;

(b) In case the biometric authentication through Fingerprints or Iris scan or Face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;

(c) In all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password authentication is not possible, benefits under the scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the quick response code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of quick response code reader shall be provided at the convenient locations by the Department through its Implementing Agency.

4. Notwithstanding anything contained herein above, no student shall be denied benefit under this Scheme in case of failure to establish his identity by undergoing authentication, or furnishing proof of possession of Aadhaar number, or in the case of a student to whom no Aadhaar number has been assigned, submitting an application for enrolment. The benefit shall be given to him by verifying his identity on the basis of other documents as mentioned in clause (b) and (c) of the proviso of sub-paragraph (3) of paragraph 1, and where benefit is given on the basis of such other documents, a separate register shall be maintained to record the same, which shall be reviewed and audited periodically by the Department through its Implementing Agency.

5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette.

(Dr. Mahavir Singh), IAS
Additional Chief Secretary to Government of Haryana,
School Education Department, Chandigarh

(8)

हरियाणा सरकार
विद्यालय शिक्षा विभाग
चण्डीगढ

अधिसूचना

कमांकः– 12/3–2021 परीक्षा (1) दिनांकः–

विषयः– आधार अधिनियम 2016 की धारा–7 के तहत कक्षा 'ग्यारहवीं से बारहवीं तक के अनूसुचित जाति वर्ग के छात्रों/छात्राओं के लिये मुफ्त साईकिल योजना' की अधिसूचना, जैसा कि आधार और अन्य कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 में संशोधित किया गया है।

****

सेवाओं या लाभों या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिये एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रकियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता व दक्षता लाता है और लाभार्थियों को सुविधाजनक और निर्बाध रीति से उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है तथा आधार किसी की पहचान को साबित करने के लिये विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और जबकि, सैकण्डरी शिक्षा विभाग बोर्ड मैट्रिक 'हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित मैट्रिक परीक्षा पर आधारित पंजाबी द्वितीय भाषा अवार्ड योजना का संचालन कर रहा है।

और जैसा कि इस योजना के अधीन योजना के मौजूदा दिशा निर्देशों के अनसुार राज्य सरकार सरकारी स्कूलों में पढने वाले अनुसूचित जाति वर्ग के ग्यारहवीं से बारहवीं तक के विद्यार्थियों को डायरेक्ट बैनिफिट ट्रांस्फर (डी.बी.टी) माध्यम से प्रदान करती है।

और उपरोक्त योजना के तहत व्यय हरियाणा सरकार की समेकित निधि (वित्त विभाग) से होने वाले आवर्ती व्यय में शामिल हैः

अतः अब हरियाणा सरकार आधार अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 7 के उपबंधो के अनुसरण में (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) बारे निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात–

1 (1) योजना के अधीन प्रसुविधा लेने के इच्छुक प्रत्येक पात्र बच्चे से अपेक्षा की जाती है कि वह आधार संख्या रखने का प्रमाण प्रस्तुत करेगा अथवा उसे आधार प्रमाणीकरण करवाना होगा।

(2) योजना के अधीन प्रसुविधा पाने का इच्छुक प्रत्येक बच्चा जो आधार संख्या नहीं रखता है या जिसने आधार के लिए अभी तक नामाकंन नहीं किया है, उसे योजना के लिए पंजीकरण करने से पहले अपने माता–पिता या अभिभावकों की सहमति से आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा, बशर्ते वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधो के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार है और ऐसे बच्चे आधार नामांकन के लिए किसी भी आधार नामांकन केन्द्र (केन्द्रों की सूची भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) पर संपर्क कर संकेगे।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) अधिनियम, 2016 के विनियमन 12 के अनुसार विभाग द्वारा कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से, उन लाभार्थियों के लिए जो अभी आधार हेतु नामांकित नही हुए है, के आधार नामांकन सुविधाओं की व्यवस्था करना अपेक्षित है और यदि संबंधित ब्लाक या तालुका या तहसील में आधार नामांकन केंद्र स्थित नहीं हो तो विभाग कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से यूआईडीएआई के मौजूदा रजिस्ट्रार के सहयोग से या स्वतः यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनते हुए सुविधाजनक स्थान पर आधार नामांकन सुविधांए उपलब्ध कराएगाः

बशर्ते कि किसी बच्चे को आधार प्रदान किए जाने तक उसे निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर प्रसुविधा प्रदान की जाएगी, अर्थातः–

(क) यदि बच्चा पांच साल की उम्र (बायोमैट्रिक्स संगह के साथ), प्राप्त करने के बाद नामांकित किया गया है, उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची, अथवा बायोमैट्रिक्स अपडेट पहचान पर्ची; और

(ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक हो, अर्थातः–

i. जन्म प्रमाणपत्र; अथवा यथोचित प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जन्म का रिकार्ड; अथवा

ii. स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित स्कूल का पहचान पत्र, जिसमें माता–पिता के नाम हों; और

(ग) मौजूदा योजना के दिशा निर्देशों के अनुरूप, माता–पिता या वैधानिक अभिभावक के साथ प्रसुविद्यार्थी के संबंध के सबूत के तौर पर निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज; अर्थातः–

i. जन्म प्रमाणपत्र: अथवा यथोचित प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जन्म का रिकार्ड; अथवा

ii. राशन कार्ड; अथवा

iii. भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ई.सी.एच.एस) कार्ड; अथवा कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई.एस,आई. सी) कार्ड; अथवा केन्द्र सरकार की स्वास्थ्य योजना (सी.जी.एच.एस) कार्ड; अथवा

iv. पेंशन कार्ड; अथवा

v. आर्मी कैंटीन कार्ड; अथवा

vi. कोई भी सरकारी परिवार पात्रता/हकदारी कार्ड; अथवा

vii. विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज;

बशर्ते कि उपर्युक्त दस्तावेजों की जांच विभाग द्वारा इस कार्य हेतु विशेष रूप से नामनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. योजना के अधीन प्रसुविधाएं सरलतापूर्वक प्रदान करने के लिए विभाग कार्यान्वयन एजेंसी के सहयोग से उक्त योजना के तहत आधार की आवश्यकता के प्रति लाभार्थियों को जागरूक करने के लिए मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार सुनिश्चित करेगा तथा इस हेतु सभी आवश्यक प्रबंध करेगा।

3. उन सभी मामलों मे, जहां लाभार्थियों के खराब बायोमैट्रिक्स के कारण अथवा किसी अन्य कारण से आधार अधिप्रमाणन असफल रहता है, वहां निम्नलिखित उपचारात्मक तंत्र अपनाया जाएगा, अर्थातः–

(क) खराब अंगुलीछाप गुणवता के मामले में, अधिप्रमाणन के लिए आईरिस स्कैन अथवा चेहरा अधिप्रमाणन सुविधा अपनाई जाएगी, इस हेतु विभाग आईरिस स्कैनर्स अथवा चेहरा अधिप्रमाणन के साथ अंगुलीछाप अधिप्रमाणन के लिए प्रावधान करेगा ताकि निर्बाध रीति के प्रसुविधा प्रदान की जा सके;

(ख) जहां अंगुली के माध्यम से बायोमैट्रिक्स अधिप्रमाणन अथवा आईरिस स्कैन अथवा चेहरा अधिप्रमाणन सफल न हो वहां व्यवहार्यता एवं स्वीकार्यता अनुसार सीमित समय वैधता वाले आधार वन टाईम पासवर्ड (ओटीपी) या समय आधारित वन टाइम पासवर्ड, जैसा भी मामला हो, द्वारा अधिप्रमाणन किया जाएगा;

(ग) अन्य सभी मामलों में जहां बायोमैट्रिक्स अथवा आधार वन टाईम पासवर्ड अथवा समय–आधारित वन–टाइम पासवर्ड अधिप्रमाणन संभव नहीं है, वहां योजना के अधीन प्रसुविधाएं भौतिक आधार पत्र के आधार पर प्रदान की जाएंगी, जिनकी अधिप्रामाणिकता आधार पत्र पर मुद्रित त्वरित प्रतिकिया (क्यूआर) कोड के माध्यम से सत्यापित की जा सकती है और त्वरित प्रतिकिया कोड रीडर विभाग द्वारा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से सुविधाजनक स्थान पर आवश्यक रूप से उपलब्ध कराया जाएगा।

4. उपरोक्त बातों के बावजूद, किसी भी बच्चे को प्रमाणीकरण के माध्यम से अपनी पहचाान स्थापित करने में विफलता के मामले में, अथवा आधार संख्या का सबूत प्रस्तुत न करने अथवा जिसे आधार नंबर प्राप्त नही हुआ है, को नामांकन हेतु आवेदन पत्र की प्रति प्रस्तुत करने में विफल रहने पर भी योजना के तहत प्रसुविधा से वंचित नही किया जाएगा। उसे प्रसुविधा अन्य दस्तावेजों के आधार पर उसकी पहचान को सत्यापित करने उपरान्त, जैसा कि अनुच्छेद 1 के उप–अनुच्छेद (3) के उपबंधो (ख) और (ग) में वर्णित है, प्रदान की जाएगी और जहां प्रसुविधा ऐसे अन्य दस्तावेजों के आधार पर प्रदान की जाएगी, इस हेतु एक अलग रजिस्ट्रार में इसका रिकार्ड रखा जाएगा, जिसकी विभाग द्वारा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से समय–समय पर समीक्षा की जाएगी और आडिट किया जाएगा।

5. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

(डा0 महावीर सिंह), आई0ए0एस
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
विद्यालय शिक्षा विभाग, चण्डीगढ

GOVERNMENT OF HARYANA
SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
CHANDIGARH

NOTIFICATION

No. 12/3-2021 Exam (1) **Dated:-**

Subject:- **Notification of Haryana State Merit Scholarship Scheme on the basis of Board Matric Exam and Additional provided free Laptop during the year 2016-17(Non-Plan) under Section-7 of the Aadhaar Act, 2016 (as amended by the Aadhaar and Other Laws(Amendment)Act, 2019).**

Whereas, the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the School Education Department is implementing the scheme Haryana State Merit Scholarship Scheme on the basis of Board Matric Exam and Additional free Laptop during the year 2016-17 (Non-Plan)

And whereas, under the Present Scheme, Scholarship/Benefit is disbursed to the beneficiaries studying in Government/Private/recognized Schools in the classes from 11th to 12th through DBT Mode as per the extant Scheme guidelines;

And whereas, the aforesaid Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of Haryana State Government (Finance Department)

Now, therefore, in pursuance of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (*hereinafter referred as the said Act*), the government of Haryana is hereby notifies the following, namely: -

1. (1) Any Student desirous of availing the benefit under the Scheme shall hereby be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

   (2) Any Student desirous of availing the benefit under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment subject to the consent of his parents or guardians, before registering for the Scheme provided that he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act and such children shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at the Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

   (3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department through its Implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in

case there is no Aadhaar Enrolment Centre located in the respective Block Taluka Tehsil, the Department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar Enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming a UIDAI Registrar themselves:

Provided that, till the time Aadhaar is assigned to the student, the benefit under the Scheme shall be given to such student subject to production of the following documents, namely: -

(a) If the Beneficiaries, has been enrolled after attaining the age of five years (with biometrics collection), his Aadhaar Enrolment Identification slip, or of bio-metric update identification slip; and

(b) Any one of the following documents, namely:-

(i) Birth Certificate; or Record of birth issued by the appropriate authority; or

(ii) School identity card, duly signed by the Principal of the school, containing parents' names; and

(c) Any one of the following documents as proof of relationship of the beneficiary with the parent or legal guardian as per the extant Scheme guidelines, namely:–

(i) Birth Certificate; or Record of birth issued by the appropriate authority; or

(ii) Ration Card; or

(iii) Ex-Servicemen Contributory Health Scheme (ECHS) Card; or Employees' State Insurance Corporation (ESIC) Card; or Central Government Health Scheme (CGHS) Card; or

(iv) Pension Card; or

(v) Army Canteen Card; or

(vi) Any Government Family Entitlement Card; or

(vii) Any other document as specified by the Department:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.

2. In order to provide benefits to the students under the Present Scheme conveniently, the Department through its Implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through media shall be given to the eligible students to make them aware of the said requirement.

3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the eligible students or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely: -

(a) In case of poor Fingerprint quality, Iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication, thereby the Department through its Implementing

agency shall make provisions for Iris scanners or Face authentication along with finger-print authentication for delivery of benefits in seamless manner;

(b) In case the biometric authentication through Fingerprints or Iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;

(c) In all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password authentication is not possible, benefits under the scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of Quick Response code reader shall be provided at the convenient locations by the Department through its Implementing Agency.

4. Notwithstanding anything contained herein above, no student shall be denied benefit under this Scheme in case of failure to establish his identity by undergoing authentication, or furnishing proof of possession of Aadhaar number, or in the case of a student to whom no Aadhaar number has been assigned, submitting an application for enrolment. The benefit shall be given to him by verifying his identity on the basis of other documents as mentioned in clause (b) and (c) of the proviso of sub-paragraph (3) of paragraph 1, and where benefit is given on the basis of such other documents, a separate register shall be maintained to record the same, which shall be reviewed and audited periodically by the Department through its Implementing Agency.

5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette.

(Dr. Mahavir Singh), IAS
Additional Chief Secretary to Government of Haryana,
School Education Department, Chandigarh

(9)

हरियाणा सरकार
विद्यालय शिक्षा विभाग
चण्डीगढ

अधिसूचना

कमांकः— 12/3—2021 परीक्षा (1) दिनांकः—

विषयः— आधार अधिनियम 2016 की धारा—7 के तहत 'बोर्ड मैट्रिक परीक्षा पर आधारित हरियाणा राज्य मैरिट छात्रवृति योजना तथा वर्ष 2016—17 के दौरान इसके अतिरिक्त मुफ्त लैपटाप प्रदान करना' योजना की अधिसूचना, जैसा कि आधार और अन्य कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 में संशोधित किया गया है।

****

सेवाओं या लाभों या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिये एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रकियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता व दक्षता लाता है और लाभार्थियों को सुविधाजनक और निर्बाध रीति से उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है तथा आधार किसी की पहचान को साबित करने के लिये विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और जबकि, सैकण्डरी शिक्षा विभाग बोर्ड मैट्रिक परीक्षा पर आधारित हरियाणा राज्य मैरिट छात्रवृति योजना तथा वर्ष 2016—17 के दौरान इसके अतिरिक्त मुफत लैपटाप प्रदान करना योजना का संचालन कर रहा है।

और जैसा कि इस योजना के अधीन योजना के मौजूदा दिशा निर्देशों के अनसुार राज्य सरकार सरकारी/निजि (मान्यता प्राप्त) स्कूलों में पढने वाले अनुसूचित जाति वर्ग के ग्याहरवी तथा बारहवीं तक के विद्यार्थियों को डायरेक्ट बैनिफिट ट्रांस्फर (डी.बी.टी) माध्यम से प्रदान करती है।

और उपरोक्त योजना के तहत व्यय हरियाणा सरकार की समेकित निधि (वित्त विभाग) से होने वाले आवर्ती व्यय में शामिल है:

अतः अब हरियाणा सरकार आधार अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 7 के उपबंधो के अनुसरण में (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) बारे निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात—

1 (1) योजना के अधीन प्रसुविधा लेने के इच्छुक प्रत्येक पात्र बच्चे से अपेक्षा की जाती है कि वह आधार संख्या रखने का प्रमाण प्रस्तुत करेगा अथवा उसे आधार प्रमाणीकरण करवाना होगा।

(2) योजना के अधीन प्रसुविधा पाने का इच्छुक प्रत्येक बच्चा जो आधार संख्या नहीं रखता है या जिसने आधार के लिए अभी तक नामाकंन नहीं किया है, उसे योजना के लिए पंजीकरण करने से पहले अपने माता—पिता या अभिभावकों की सहमति से आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा, बशर्ते वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधो के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार है और ऐसे बच्चे आधार नामांकन के लिए किसी भी आधार नामांकन केन्द (केन्द्रों की सूची भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) पर संपर्क कर संकेगे।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) अधिनियम, 2016 के विनियमन 12 के अनुसार विभाग द्वारा कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से, उन लाभार्थियों के लिए जो अभी आधार हेतु नामांकित नही हुए है, के आधार नामांकन सुविधाओं की व्यवस्था करना अपेक्षित है और यदि संबंधित ब्लाक या तालुका या तहसील में आधार नामांकन केंद्र स्थित नहीं हो तो विभाग कार्यान्वियन एजेंसियों के माध्यम से यूआईडीएआई के मौजूदा रजिस्ट्रार के सहयोग से या स्वतः यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनते हुए सुविधाजनक स्थान पर आधार नामांकन सुविधांए उपलब्ध कराएगा:

बशर्ते कि किसी बच्चे को आधार प्रदान किए जाने तक उसे निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर प्रसुविधा प्रदान की जाएगी, अर्थातः—

(क) यदि बच्चा पांच साल की उम्र (बायोमैट्रिक्स संगह के साथ), प्राप्त करने के बाद नामांकित किया गया है, उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची, अथवा बायोमैट्रिक्स अपडेट पहचान पर्ची; और

(ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक हो, अर्थातः—

i. जन्म प्रमाणपत्र; अथवा यथोचित प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जन्म का रिकार्ड; अथवा
ii. स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित स्कूल का पहचान पत्र, जिसमें माता–पिता के नाम हों; और

(ग) मौजूदा योजना के दिशा निर्देशों के अनुरूप, माता–पिता या वैधानिक अभिभावक के साथ प्रसुविद्यार्थी के संबंध के सबूत के तौर पर निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज; अर्थातः–

i. जन्म प्रमाणपत्र: अथवा यथोचित प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जन्म का रिकार्ड; अथवा
ii. राशन कार्ड; अथवा
iii. भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ई.सी.एच.एस) कार्ड; अथवा कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई.एस.आई. सी) कार्ड; अथवा केन्द्र सरकार की स्वास्थ्य योजना (सी.जी.एच.एस) कार्ड; अथवा
iv. पेंशन कार्ड; अथवा
v. आर्मी कैंटीन कार्ड; अथवा
vi. कोई भी सरकारी परिवार पात्रता/हकदारी कार्ड; अथवा
vii. विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज;

बशर्ते कि उपर्युक्त दस्तावेजों की जांच विभाग द्वारा इस कार्य हेतु विशेष रूप से नामनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. योजना के अधीन प्रसुविधाएं सरलतापूर्वक प्रदान करने के लिए विभाग कार्यान्वयन एजेंसी के सहयोग से उक्त योजना के तहत आधार की आवश्यकता के प्रति लाभार्थियों को जागरूक करने के लिए मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार सुनिश्चित करेगा तथा इस हेतु सभी आवश्यक प्रबंध करेगा।

3. उन सभी मामलों मे, जहां लाभार्थियों के खराब बायोमैट्रिक्स के कारण अथवा किसी अन्य कारण से आधार अधिप्रमाणन असफल रहता है, वहां निम्नलिखित उपचारात्मक तंत्र अपनाया जाएगा, अर्थातः–

(क) खराब अंगुलीछाप गुणवता के मामले में, अधिप्रमाणन के लिए आईरिस स्कैन अथवा चेहरा अधिप्रमाणन सुविधा अपनाई जाएगी, इस हेतु विभाग आईरिस स्कैनर्स अथवा चेहरा अधिप्रमाणन के साथ अंगुलीछाप अधिप्रमाणन के लिए प्रावधान करेगा ताकि निर्बाध रीति के प्रसुविधा प्रदान की जा सके;

(ख) जहां अंगुली के माध्यम से बायोमैट्रिक्स अधिप्रमाणन अथवा आईरिस स्कैन अथवा चेहरा अधिप्रमाणन सफल न हो वहां व्यवहार्यता एवं स्वीकार्यता अनुसार सीमित समय वैधता वाले आधार वन टाईम पासवर्ड (ओटीपी) या समय आधारित वन टाइम पासवर्ड, जैसा भी मामला हो, द्वारा अधिप्रमाणन किया जाएगा;

(ग) अन्य सभी मामलों में जहां बायोमैट्रिक्स अथवा आधार वन टाईम पासवर्ड अथवा समय–आधारित वन–टाइम पासवर्ड अधिप्रमांणन संभव नहीं है, वहां योजना के अधीन प्रसुविधाएं भौतिक आधार पत्र के आधार पर प्रदान की जाएंगी, जिनकी अधिप्रामाणिकता आधार पत्र पर मुद्रित त्वरित प्रतिकिया (क्यूआर) कोड के माध्यम से सत्यापित की जा सकती है और त्वरित प्रतिकिया कोड रीडर विभाग द्वारा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से सुविधाजनक स्थान पर आवश्यक रूप से उपलब्ध कराया जाएगा।

4. उपरोक्त बातों के बावजूद, किसी भी बच्चे को प्रमाणीकरण के माध्यम से अपनी पहचान स्थापित करने में विफलता के मामले में, अथवा आधार संख्या का सबूत प्रस्तुत न करने अथवा जिसे आधार नंबर प्राप्त नही हुआ है, को नामांकन हेतु आवेदन पत्र की प्रति प्रस्तुत करने में विफल रहने पर भी योजना के तहत प्रसुविधा से वंचित नही किया जाएगा। उसे प्रसुविधा अन्य दस्तावेजों के आधार पर उसकी पहचान को सत्यापित करने उपरान्त, जैसा कि अनुच्छेद 1 के उप–अनुच्छेद (3) के उपबंधो (ख) और (ग) में वर्णित है, प्रदान की जाएगी और जहां प्रसुविधा ऐसे अन्य दस्तावेजों के आधार पर प्रदान की जाएगी, इस हेतु एक अलग रजिस्ट्रार में इसका रिकार्ड रखा जाएगा, जिसकी विभाग द्वारा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से समय–समय पर समीक्षा की जाएगी और आडिट किया जाएगा।

5. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

(डा0 महावीर सिंह), आई0ए0एस
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
विद्यालय शिक्षा विभाग, चण्डीगढ